हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन नीति 2011

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

हिमाचल प्रदेश
राज्य आपदा प्रबन्धन नीति 2011

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन नीति 2011

(27 मार्च, 2012 को राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

विषय सूची

अध्याय		विषय	पृष्ठ
1	प्रस्तावना		
	1.1.1	प्रसंग	1
	1.2.1–1.2.8	हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिम	1-4
	1.3.1	आपदा प्रबन्धन में प्रतिमानीय बदलाव	4-7
	1.4.1	जिलावार आपदा संवेदनशीलता	7-9
2	विद्यमान क्षमता में कमियां		
	2.1.1–2.1.2	राज्य में अधोसंरचना सहित विद्यमान क्षमता	10
	2.2.1	विद्यमान क्षमता में कमियां	10-11
	2.3.1.–2.3.3	कमियां पूरी करना	11-12
3	दृष्टिकोण तथा उद्देश्य		
	3.1.1	दूरदर्शिता	13
	3.2.1	लक्ष्य	13
	3.3.1	आपदा प्रबन्धन	13-14
	3.4.1	आपदा प्रबन्धन नैरन्तर्य	14
	3.5.1	दृष्टिकोण	14-15
	3.6.1	उद्देश्य	15-16
4	संस्थागत तथा विधिक व्यवस्था		
	4.1.1–4.1.2	राष्टोय स्तर पर	17-18
	4.2.1	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	18
	4.3.1–4.3.2	राज्य कार्यकारो समिति	18-19
	4.4.1	राज्य तथा जिला संकट प्रबन्धन समूह	20
	4.5.1–4.5.3	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	20-21
	4.6.1	स्थानीय प्राधिकरण	21-22
	4.7.1.	राज्य आपदा प्रबन्धन संस्थान/ ए०टी०आई०	22
	4.8.1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	22-23
	4.9.1–4.9.2	राज्य सरकार	23
	4.10.1–4.10.2	राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य सरकार के	

		विभागों की भूमिका	23-24
	4.11.1	जिला प्रशासन	24-25
		अन्य संस्थागत प्रबन्ध	25
	4.12.1	सशस्त्र सेना	25
	4.13.1	क्रेन्द्रीय अर्धसैनिक बल	25
	4.14.1	राज्य पुलिस बल तथा भारतीय रिजर्व बटालियन	26
	4.15.1	नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं एवं गृह रक्षक	26
	4.16.1	एन०सी०सी, एन०एस०एस०, एन०वाई०के०एस० आदि की भूमिका	26-27
	4.17.1	हि० प्र० राज्य डी० एम० रूप रेखा	27
5	वित्तीय व्यवस्था		
	5.1.1	दृष्टिकोण	28
	5.2.1	आपदा क्रिया एवं अवशमन निधि	28
	5.3.1	प्रदेश के विभागों तथा एजेंसियों के दायित्व	29
	5.4.1	प्रौद्यो–वित्तीय व्यवस्था	29
6	आपदा रोकथाम, अवशमन तथा तत्परता		
	6.1.1	आपदा रोकथाम, अवशमन व मुख्यधारा में लाना	30
	6.1.2	डी०आर०आर० को मुख्यधारा में लाना	30-31
	6.2.1	जोखिम मूल्यांकन तथा संवेदनशीलता मानचित्रण	31
	6.3.1	शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन	32
	6.4.1	संकटपूर्ण संरचना	32
	6.5.1	पर्यावरण अनुकूल विकास	32
	6.6.1	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	33
	6.7.1–6.7.2	आपदा प्रबन्धन योजनाओं को तैयार करना	33-34
	6.8.1	चिकित्सीय तैयारी तथा सामूहिक हताहत प्रबन्धन	34-35
	6.9.1	भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्था	35

	6.10.1	आपदा प्रबन्धन में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	36
	6.11.1	आपात संचालन केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण	37
	6.12.1	प्रशिक्षण, अनुकरण तथा मॉक ड्रिल	37
	6.13.1	समुदाय आधारित तत्परता हेतु भागीदारियाँ	38
	6.14.1	पणधारियों की सहभागिता को गतिशील बनाना	38
	6.15.1	निगमित सामाजिक दायित्व तथा पी०पी०पी०	39
	6.16.1	मीडिया की भागीदारी	39
7	प्रौद्यो–विधिक व्यवस्था		
	7.1.1	तकनीकी–विधिक व्यवस्था	40
	7.2.1	भूमि प्रयोग योजना	40-41
	7.3.1–7.3.2	आपदा रोधी सुरक्षित निर्माण पद्धतियाँ	41
	7.4.1	अनुपालन एवं प्रवर्तन तंत्र	42
8	प्रतिक्रिया		
	8.1.1	दृष्टिकोण	43
	8.2.1	राज्य, जिला एवं स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका	43-44
	8.3.1	राज्य एवं केंद्र सरकार के नोडल विभाग तथा अन्य विभागों की भूमिका	44
	8.4.1	मानक संचालन पद्धतियाँ	44
	8.5.1	आपदाओं के स्तर	45
	8.6.1–8.6.4	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली	45-46
	8.7.1	मुख्य प्रतिक्रियाकर्ता	46
	8.8.1	चिकित्सा प्रतिक्रिया	47
	8.9.1	प्रजनन तथा आपात प्रसूती सेवाएं	47-48
	8.10.1	पशु उपचार	48
	8.11.1	सूचना तथा मीडिया सहभागिता	48-49
	8.12.1–8.12.2	जी०ओ०, एन०जी०ओ० तथा आई०ए०जी० समन्वय	49
9	राहत, पुनरुत्थान,		

	पुर्ननिर्माण तथा पुनर्वास		
	9.1.1–9.1.2	दृष्टिकोण	50
	9.2.1–9.2.3	राहत	51-52
	9.3.1	स्वामी चालित निर्माण	52
	9.4.1	सामाजिक अधोसंरचना का पुनःनिर्माण	52
	9.5.1	सामाजिक आर्थिक पुनर्वास	53
	9.6.1	पुनःनिर्माण – पुनः बेहतर निर्माण के साथ समुत्थान को जोड़ना	53
10	प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास		
	10.1.1	दृष्टिकोण	54
	10.2.1–10.2.4	प्रशिक्षण	54-56
	10.3.1	क्षमता विकास	56-57
	10.4.1	सांस्थानिक क्षमता विकास	57
	10.5.1	समुदायों का प्रशिक्षण	58
	10.6.1	व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा	58
	10.7.1	स्कूलों में आपदा प्रबन्धन शिक्षा	58-59
	10.8.1	शिल्पियों का प्रशिक्षण	59
11	ज्ञान प्रबन्धन, अनुसंधान एवं विकास		
	11.1.1	दृष्टिकोण	60
	11.2.1	ज्ञान संस्थान	60
	11.3.1	ज्ञान का प्रसार	60-61
	11.4.1	बहतर प्रथाओं तथा अनुसंधान प्रलेखन	61
	11.5.1	अनुसंधान तथा विकास	61
	11.6.1	आगामी रास्ता	62
	उपाबन्ध–1	हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन रूप–रेखा	63-81
		संक्षेपाक्षर	82-83

अध्याय–1

प्रस्तावना

प्रसंगः

1.1.1 आपदाएं विकास को छिन्न–भिन्न करती हैं और कड़ो मेहनत व मशक्कत से किए गए विकास का ध्वंस करती हैं, विकास की दिशा में अग्रसर राष्टों को कई बार अनेक दशक पीछे धकेल देती हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से, भारत तथा विदेशों में भी, आपदा घटित होने पर मात्र अनक्रिया किए जाने के स्थान पर, आपदाओं के कारगर प्रबन्धन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एक ओर जहां आपदाओं की तीव्रता तथा पुनरावृति की दर में वद्धि के परिणामस्वरूप ऐसा किया जाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यह इस ओर भी संकेत करता है कि सभ्य समाज में सुशासन द्वारा आपदाओं के विध्वंसक प्रभाव से कारगर तरीके से निपटन की आवश्यकता होती हैं।

हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिम

1.2.1 हिमाचल राज्य में प्राकृतिक तथा मानवकत अनेक आपदाएं घटित होती हैं। मुख्य आपदाओं में भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटने से बाढ़, बर्फानी तूफान, हिम–स्खलन, सूखा, बाँधों सम्बन्धी विफलता, आग– घरेलू तथा जंगलों में, दुर्घटनाएं– सड़क, रेल, वायुयान, भगदड, किश्ती उलट जाना, जैविक, औद्योगिक तथा विध्वंसक रसायन इत्यादि शामिल हैं। प्रदेश में, तथापि, सब से बड़ी चनौती भूकम्प आपदा उत्पन्न करती है। भूकम्प इतिहास के रिकार्ड के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर 4 तथा इससे अधिक के 80 से भी अधिक भूकम्पों ने राज्य को प्रभावित किया है। बी०आई०एस० के भ्कम्पीय क्षेत्र मानचित्र में हिमाचल प्रदेश पाँच जिलों चम्बा (53.2%), हमीरपुर (90.9%), कांगड़ा (98.6%), कुल्लू (53.1%), मण्डी (97.4%) के 53 से 98.6 प्रतिशत क्षेत्र को एम०एस०के० IX की अत्यधिक तीव्रता क्षेत्र तथा शेष क्षेत्र को VIII तीव्रता वाले क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शाया गया है। दो अन्य जिलों– बिलासपुर (25.3%) तथा ऊना (37.0%), के कुछ क्षेत्र को भी एम०एस०के० IX तीव्रता वाले क्षेत्र तथा शेष भाग को VIII तोवता वाले क्षेत्र में दर्शाया गया है। प्रदेश के शेष जिलों को भी VIII की तीव्रता वाल क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

1.2.2 बावजूद इसके कि प्रदेश में भूकम्पीय तीव्रता की दर बहुत ऊंची है, दुभाग्यवश, अधिकतर घर „क" क्षेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी दीवारें

मिट्टी के गारे, कच्ची ईंटों अथवा कुछेक पत्थरों की चिनाई से निर्मित हैं, जिनमें भूकम्परोधी कोई भी विशेषता नहीं है। भविष्य में यदि IX या इसस अधिक तीव्रता के भूकम्प आते हैं तो ऐसे घर पूर्ण रूप से गिरने के कगार पर होगें और इस प्रकार भारी क्षति जिसे "विनाश" कहा जाता है। यहां तक कि यदि VIII की तीव्रता वाले भूकम्प क्षेत्रों में भी बडो–बड़ी दरारें पड़ने और आंशिक रूप से घरों के गिरने का अंदेशा रहेगा। प्रदेश में पक्की ईंटों से निर्मित घरों, जिन्हें „ख" क्षेणी में रखा जाता है, में भी अच्छी किस्म के सीमेंट मसाले की भूकम्पीय पट्टिकाएं तथा छत प्रणाली जैसी भूकम्प रोधी विशेषताएं नहीं हैं। इसलिए उन घरों को भी IX तथा VIII तीव्रतायुक्त भूकम्प आने की स्थिति में भारी क्षति हागी। 1986 में धर्मशाला में आया एम 5.7 तीव्रता का भूकम्प इसका ज्वलंत उदाहरण है।

1.2.3 प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का दूसरा रूप है बारम्बार भूस्खलन का होना। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं को बरसात के मौसम के दौरान तथा इसके उच्च तीवतायुक्त भूकम्पों के आने पर भूस्खलन आपदा से जूझना पड़ता है। मानव की अनुचित गतिविधियों जैसे– वन कटान, सड़कों के निर्माण हेतु भूमि कटान, सीढ़ीनुमा खेती तथा ऐसी कृषि फसलों की खेती जिन्हें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है इत्यादि के फलस्वरूप, विभिन्न हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसी ढलानों की संवेदनशीलता में गत दशक से बडो दर से वृद्धि हो रही है, जो भूगभीय दृष्टि से कच्ची हैं और अभी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है। यद्यपि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापक बाढ़ की समस्या राज्य में नहीं है, तथापि राज्य में बाढ़ आपदा, विशेषकर अचानक बाढ़ (बादल आदि फटने से) की घटनाओं को कम करने हेतु निरन्तर घ्यान देने की आवश्यकता है जिनसे बड़े पैमाने पर क्षति होती है। इसके अतिरिक्त राज्य में सड़कें मार्गों में वृद्धि तथा उपमार्गों पर असंख्य वाहनों के चलने से सड़क दुर्घटनाओं एवं अमूल्य मानव जोवन की हानि की संख्या मं दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

1.2.4 हिमाचल प्रदेश के वन संवहनीय वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध हैं जिनसे अद्‌भुत वानस्पतिक आवरण तैयार होता है। देश में पाई जाने वालो कुल 45,000 पौध प्रजातियों में से लगभग 3,295 (7.32%) प्रजातियां प्रदेश में पाई जाती हैं, 95% से अधिक प्रजातियां यहां की स्थानीय प्रजातियां हैं जिनमें पश्चिमी हिमालयी वनस्पति के गुण पाये जाते हैं, जबकि 5% के (150%) लगभग प्रजातियां विदेशज हैं, जिनकी पहचान गत 150 वर्षों में की गई है। अनेक वर्षों से, मानव सम्बन्धी तथा अन्य कारणों से घटित हो रही, आग की घटनाओं स हमारी वन सम्पदा नष्ट हो रही है। वन अग्नि से हमारी समृद्ध वनस्पति तथा वन्य प्राणीजगत का विनाश हो रहा

है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त घरेलू आग की घटनाएं भी प्रतिदिन सम्पति को हानि पहुंचा रही है।

1.2.5 राज्य देवभूमि के नाम से विख्यात है। राज्य में श्री नयना देवी, बाबा बालक नाथ, श्री चिंतपूर्णी, मां ज्वालाजी, मां बज्रेश्वरी, श्री चामुण्डा नन्दीकेश्वर धाम इत्यादि जैसे अनेक प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित हैं। प्रत्येक वर्ष इन मंदिरों में श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह उमड़ता है। 3 अगस्त, 2008 को श्री नयना देवी मंदिर में मानव भगदड़ की घटना घटित हुई। जिसमें घबराई हुई भारी भीड़ द्वारा संकरो गली से गुजरने अथवा कुचले जाने, रौंदे जाने से 162 लोगों को जान से हाथ धोने पड़े। प्रबन्धन की ओर से किसो प्रकार की ढील से इस प्रकार की घटनाओं का अंदेशा सदैव बना रहता है।

1.2.6 राज्य में दो हवाई अड्डे तथा 120 से अधिक हैलीपैड/ हैलीकाप्टर उतरने के स्थल हैं। 9 जुलाई, 1994 को हिमाचल प्रदेश की उंची पहाड़ियों पर खराब मौसम के कारण सरकार का सुपर किंग वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल सुरेन्द्र नाथ अपने परिवार के नौ सदस्यों सहित मारे गए। श्री नाथ उस समय हिमाचल के कार्यकारी राज्यपाल भी थे। परवाणू के समीप हिमाचल प्रदेश में एक रज्जु मार्ग भी है उसमें भी कुछ वर्ष पूर्व दुर्घटनाएं हुई। राज्य में और रज्जू मार्गों का निर्माण विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त बीड़ बिलिंग में प्रतिवर्ष पैराग्लाईडिंग गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों के दौरान भी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

1.2.7 सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है और इससे भी अधिक लोग घायल होते हैं। राज्य के कुछ भागों में रेल मार्ग भी उपलब्ध है। रेल मार्गों पर भी रेल दुर्घटनाओं की संभाव्यता बनी रहती है। राज्य में तीन बड़े जलबांध– पौंग, भाखड़ा तथा चमेरा विद्यमान हैं। अन्य नदी मार्गों के अलावा प्रदेश में इन जलाशयों का भी यातायात हेतु प्रयोग किया जाता है। इन परिवहन गतिविधियों के दौरान किश्ती उलटने की सदैव संभावना बनी रहती है। राज्य में नदियों/नालों में डूबने तथा बह जाने की घटनाएं आम बात हैं। वषा ऋतु के दौरान सांप द्वारा काटे जाने तथा बिजली का करंट लगने के मामले बहुधा घटित होते है।

1.2.8 हिमाचल प्रदेश में आपदा विवरण को निम्नलिखित (चित्र–1) रूप से चित्रित किया जा रहा है:–

हिमाचल प्रदेश का आपदा विवरण

जलीय मौसम	भूगभीय	औद्योगिक	मानवकृत	जैविक
अचानक बाढ़	भूकम्प	रासायनिक	दुर्घटनाएं	महामारियाँ
बादल फटना	भूस्खलन	औद्योगिक	भवन गिरना	दूर–दूर तक फैले हुए रोग
वन अग्नि	भूक्षरण		आतंकवाद	सी बी एन आर आपातकाल
सूखा			किश्ती उलटना	जानवरों द्वारा हमले
ओलावृष्टि			भगदड़	
आँधी–तूफान			घरेलू आग	
बिजली कड़कना				
हिम–स्खलन				

चित्र 1 : हि०प्र० का आपदा विवरण

1.3.1 आपदा प्रबन्धन में प्रतिमानीय बदलाव:

भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्टोय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन०डी०एम०ए०), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एस०डी०एम०ए०), तथा यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेटों या उपायुक्तों की अध्यक्षता मं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों (डी०डी०एम०ए०) के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि आपदा प्रबन्धन (डी०एम०) से निपटने के लिए एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। पहले से अपनाई जा रही राहत कन्द्रित अनुक्रिया के स्थान पर अब बचाव, रोकथाम, न्यूनीकरण तथा तत्परता आधारित दृष्टिकोण अपनाकर आपदा प्रबन्धन में प्रतिमानीय बदलाव होगा ताकि जान–माल तथा जीवनयापन व्यवस्था की क्षति में कमी लाकर आपदा प्रबन्धन को हितकारी बनाया जा सके।

मानचित्र 1

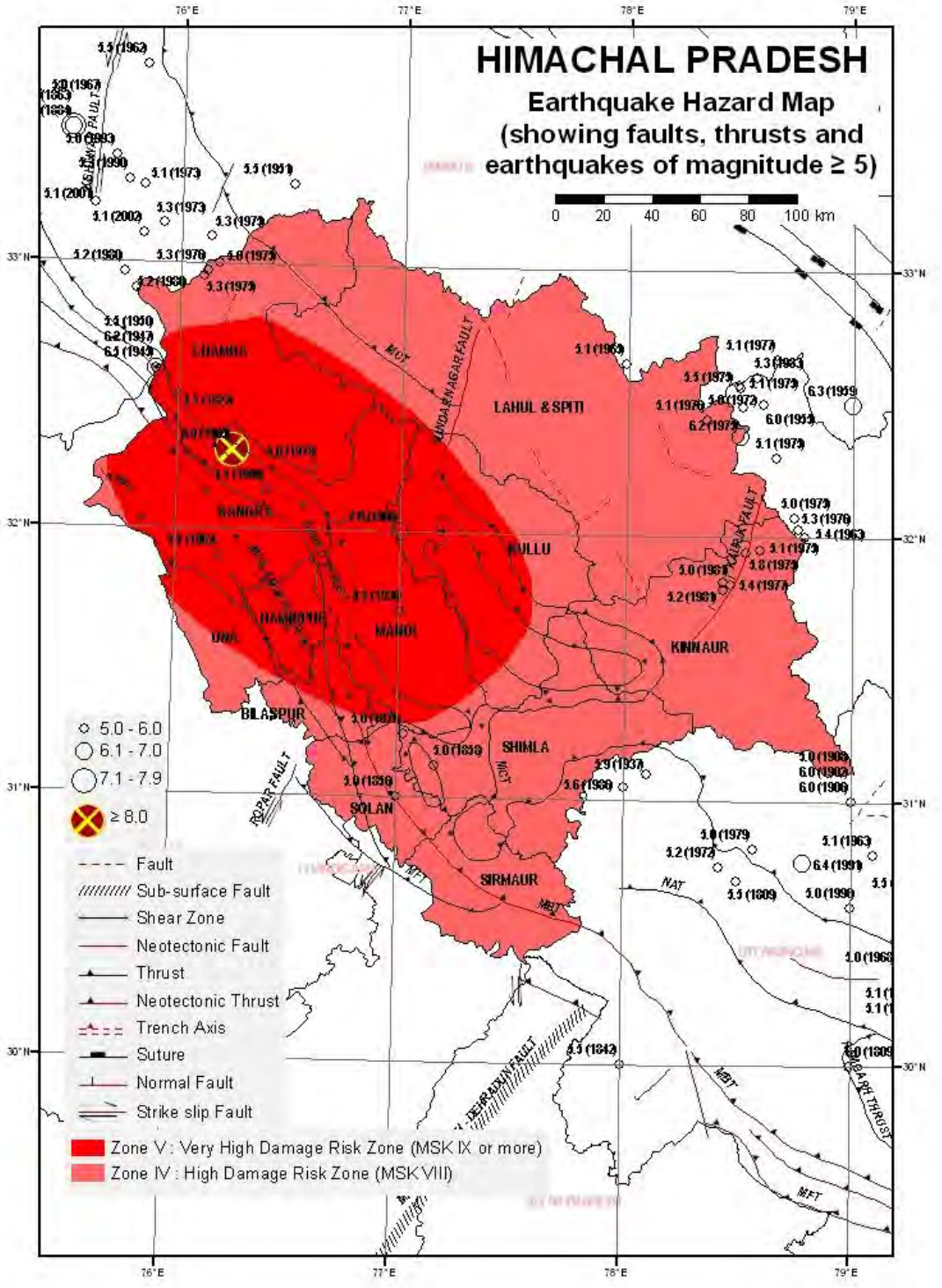

BMTPC : Vulnerability Atlas - 2nd Edition; Peer Group, MoH&UPA; Map is Based on digitised data of SOI, GOI; Seismic Zones of India Map IS:1393: 2002; Seismotectonic Atlas of India, GSI, GOI

मानचित्र 2

BMTPC : Vlulnerability Atlas - 2nd Edition; Peer Group,MoH&UPA; Map is Based on digitised data of SOI, GOI ; Basic Wind Speed Map, IS 875(3) - 1987;

मानचित्र 3

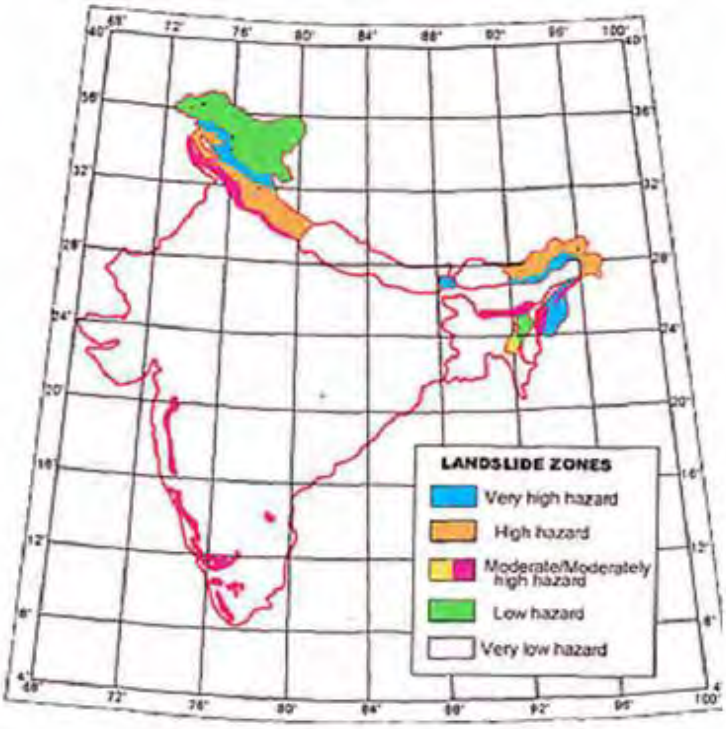

Landslide Hazard Zones in India

Source: http://www.gsi.gov.in/lndslde/lhs.htm

राज्य की संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से वर्तमान स्थिति

राज्य की जिलावार आपदा संवेदनशीलता:

1.4.1 राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृति के दृष्टिगत, विविध आपद संवेदनशीलता के आधार पर वृहद जिलावार संवेदनशीलता स्थिति तैयार की गई है। जो 0–5 तीव्रता स्केल तक की विभिन्न आपदाओं, जैसे भूकम्प, भूस्खलन, औद्योगिक आपदाएं, निर्माण किस्मों तथा जनसंख्या घनत्व आदि के गुणात्मक महत्व के आधार पर संवेदनशीलता मैट्रिक्स तैयार किए गए हैं। मूल्यांकन करते समय प्रभावित होने वाली जनसंख्या को भी विचाराधीन रखा जाता है। मैट्रिक्स में जलविद्युत परियोजनाओं सड़कों, उद्योगों आदि के विकास के फलस्वरूप संभावित क्षति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। तैयार किए गए मैट्रिक्स के अनुसार भूकम्पीय संवदनशीलता की दृष्टि से जिला कांगड़ा हमीरपुर व मण्डी बहुत अधिक संवेदनशीलता श्रेणी वाले क्षेत्र मे आते हैं। अधिक भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र में पड़ने वाले जिले चम्बा, कुल्लू, किन्नौर तथा कांगड़ा

और शिमला जिलों का कुछ क्षेत्र है जबकि ऊना, बिलासपुर, सिरमौर व सोलन तथा शिमला, लाहौल–स्पिति जिले क्रमशः सामान्य एवं न्यून संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। चम्बा, कुल्लू, किन्नौर, तथा कांगड़ा और शिमला का कुछ क्षेत्र भूस्खलन आपदा की दृष्टि से उच्च संवेदनशील क्षेत्र में पड़ते हैं। न्यून संवेदनशील क्षेत्र में ऊना, हमीरपुर, तथा सोलन जिलों के क्षेत्र पड़ते हैं। हिम–स्खलन आपदा संवेदी मानचित्र जिला लाहौल–स्पीति तथा किन्नौर बहुत उच्च संवेदनशील क्षेत्र तथा चम्बा, कुल्लू, किन्नौर तथा कांगड़ा और शिमला का कुछ क्षेत्र सामान्य संवेदनशील क्षेत्र में दर्शाया है जबकि शेष जिलों में हिम–स्खलन शून्य के बराबर होते हैं। बाढ़ आपदा संवेदी मानचित्र के अनुसार चम्बा, कुल्लू, ऊना, तथा किन्नौर उच्च संवेदनशील क्षेत्र में जबकि लाहौल स्पोति, मण्डी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सामान्य तथा न्यून संवेदनशील क्षेत्र में पड़ते हैं। मैटिक्स के अनुसार प्रदेश की समग्र संवेदनशील चित्रण से स्पष्ट होता है कि जिला चम्बा, कुल्लू, किन्नौर तथा कांगड़ा और शिमला का कुछ भाग बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। इसी प्रकार कागड़ा, मण्डी, ऊना, शिमला, लाहौल–स्पोति उच्च जोखिम संवेदनशील तथा हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन तथा सिरमौर सामान्य जाखिम संवदी क्षेत्र में पड़ते हैं। आपदा प्रबन्धन योजना तथा अधोसंरचना निर्माण उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत किया जाना अपेक्षित होगा।

हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता

जिला	भूकम्प	भूस्खलन	बाढ़	हिमस्खलन	उद्योग	निर्माण शैली व घनत्व	समग्र संवेदनशीलता
कांगड़ा	बहुत अधिक	सामान्य	न्यून	–	सामान्य	बहुत अधिक	अधिक
चम्बा	अधिक	अधिक	अधिक	सामान्य	सामान्य	अधिक	बहुत अधिक
ळमीरपुर	बहुत अधिक	न्यून	न्यून	–	–	अधिक	सामान्य
मण्डी	बहुत अधिक	सामान्य	सामान्य	–	–	अधिक	अधिक
कुल्लू	अधिक	अधिक	अधिक	सामान्य	अधिक	अधिक	बहुत अधिक
थ्बलासपुर	सामान्य	सामान्य	न्यून	–	सामान्य	सामान्य	सामान्य
ऊना	सामान्य	न्यून	अधिक	–	अधिक	सामान्य	अधिक
सिरमौर	सामान्य	सामान्य	न्यून	–	अधिक	सामान्य	सामान्य
सेलन	न्यून	न्यून	न्यून	–	अधिक	सामान्य	सामान्य
किन्नौर	अधिक	अधिक	अधिक	बहुत अधिक	अधिक	सामान्य	बहुत अधिक
लाहौल–स्पोति	न्यून	सामान्य	सामान्य	बहुत अधिक	–	सामान्य	अधिक
शिमला	न्यून	सामान्य	सामान्य		अधिक	सामान्य	अधिक

स्त्रोतः हि0प्र0 राज्य पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
सारणीः हिमाचल प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता

मानचित्र 4

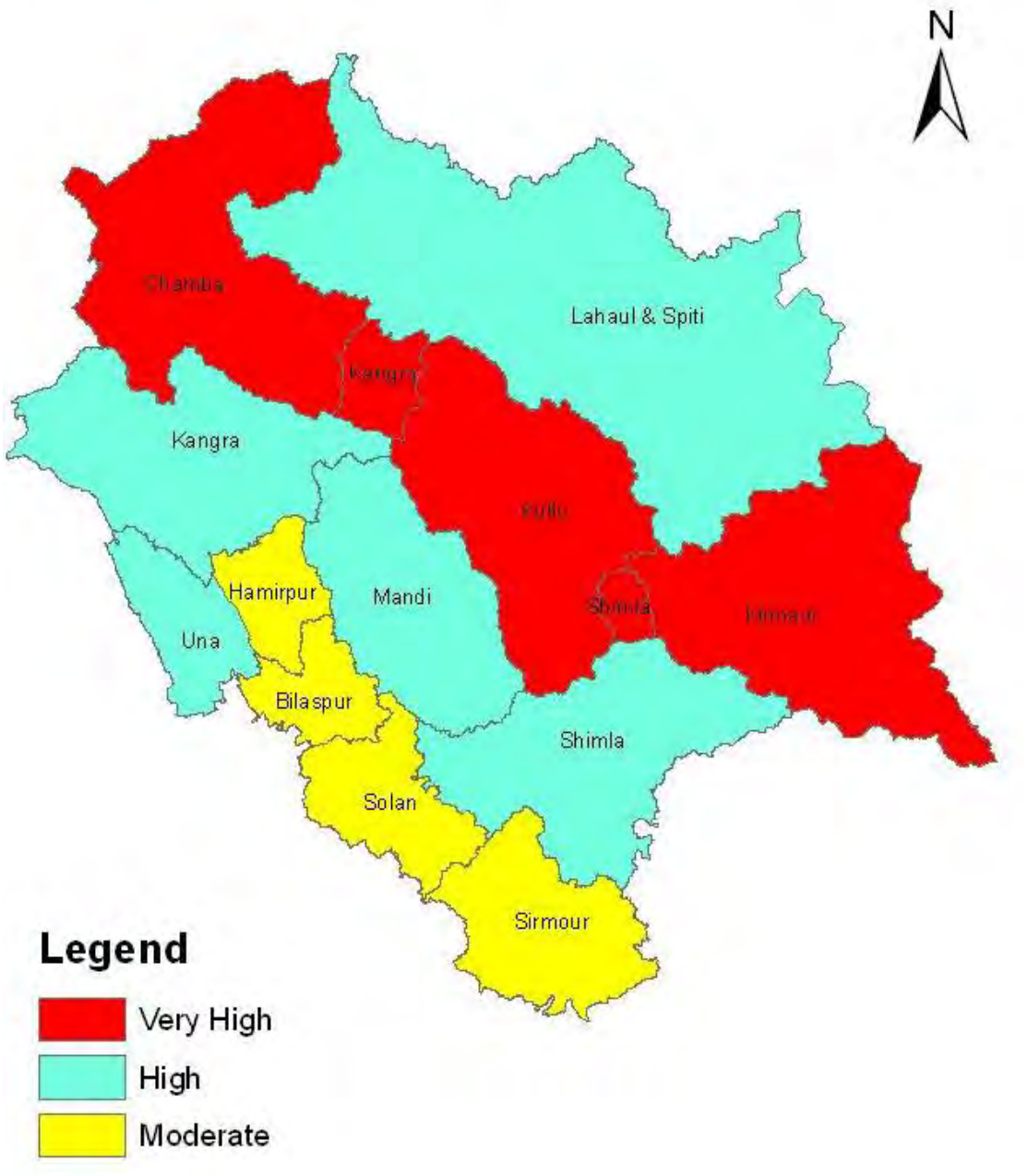

हिमाचल प्रदेश की आपद संवेदनशीलता मानचित्र

स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिक परिषद्

अध्याय–2

विद्यमान क्षमता में कमियां

राज्य में अधोसंरचना सहित विद्यमान क्षमताः

2.1.1 जैसा कि पिछले अध्याय में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है कि यह प्रदेश भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटने, अचानकी बाढ़, हिम–स्खलन, आग– जंगलों में तथा घरेल, सड़क दुर्घटनाओं, बांध ट्टने, भगदड़ इत्यादि नाना प्रकार से आपदा प्रवृत्त प्रदेश है। इन आपदाओं से कारगर तरीके से निपटन के प्रयोजन से पर्याप्त अधोसंरचना, योजना, जागरूकता तथा संस्थागत क्षमता का अभाव है।

2.1.2 राज्य में आपदा प्रबन्धन कक्ष क्रियाशील है और दो प्राध्यापकां के माध्यम से आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिमला में गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान में संयुक्त रूप से नागरिक सुरक्षा तथा गह रक्षक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अग्निशमन सेवाएं स्थापित की गई है। हाल ही में राज्य में एन०आर०एच०एम० 108 आपात सेवाएं भी आरम्भ की गई हैं।

विद्यमान क्षमता में कमियांः

2.2.1 आपदा की अनुक्रिया हेतु विद्यमान क्षमता में कमियाँ नीचे सारणित की गईं हैं:

(i) विभिन्न आपदाओं की तुलना में पणधारियों के ज्ञान, योग्यता एवं अभिरूचि का बोध नहीं है। इस स्थिति में कारगर जागरूकता अभियान चलाना तथा उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना बड़ा कठिन है।

(ii) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपद, संवेदनशीलता तथा जोखिम रूप–रेखा का ज्ञान नहीं है। इसलिए न्यूनीकरण तथा तत्परता उपायों की योजना बनाना कठिन है। समुचित एच०आर०वी०ए० के अभाव में कारगर आपदा योजना तैयार करना संभव नहीं है।

(iii) विभिन्न पणधारियों जैसे डाक्टरों, इंजिनियरों, वास्तुकारों, ठेकेदारों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों, सरकारी कार्यकर्ताओं, राज मिस्त्रियों, निर्माण सुपरवाईजरों इत्यादि के क्षमता निर्माण के

प्रयाजन से उन्हें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विविध प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता हैं। वर्तमान में अन्य संस्थानों के पास विभिन्न पणधारियों के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपेक्षित क्षमता नहीं है।

(iv) कोई भी आपातकालोन कार्य संचालन केन्द्र उपलब्ध नहीं है। अतः आपदा अनुक्रिया हेतु समन्वय करना बहुत कठिन है। भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

(v) राज्य तथा जिला स्तर पर उचित आपदा प्रबन्धन योजनाएं (डी०एम०पी०) तैयार नहीं की गई है। इनके लिए विशेषज्ञ निवेश तथा सुधार की आवश्यकता है।

(vi) एस०ए०आर० तथा आपदा अनुक्रिया हेतु पर्याप्त उपस्करों का अभाव।

(vii) राज्य में पर्याप्त पूर्व चेतावनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

विद्यमान कमियों को पूरा करनाः

2.3.1 राज्य में विद्यमान कमियों को पूरा करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियां की जानी अपेक्षित हैंः

(i) विभिन्न पणधारियों के ज्ञान, योग्यता तथा अभिरूचि को जानने के प्रयोजन से के०ए०पी० अध्ययन किया जाना ताकि उपयुक्त जागरूकता सृजन अभियान तैयार कर आरम्भ किया जा सके और प्रशिक्षण के माप–दण्ड तथा सामग्री तैयार की जा सके।

(ii) प्रदेश का एच०आर०वी०ए० किया जाए ताकि तहसील स्तर तक आपदा मानचित्रण किया जा सके, संवेदनशीलता घटकों की जानकारी ली जा सके तथा जोखिम को परिमापित किया जा सके। कारगर रोकथाम, न्यूनीकरण तथा तत्परता उपायों के दृष्टिगत एच०आर०वी०ए० अति आवश्यक है।

(iii) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संस्थानों जैसे हि०प्र० परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा

तथा अग्निशमन संस्थान, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई०, एस०सी०ई०आर०टी०, डाईट, एस०आई०आर०डी०, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पर्वतारोहण संस्थान इत्यादि का क्षमता निमाण तथा सुदृढ़ीकरण, ताकि वे प्रदेश के संदर्भ में उचित प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर विभिन्न पणधारियों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।

(iv) आई०ई०सी० अभियान चलाना

(v) समस्त जिलों, चयनित खण्डों तथा ग्रम पंचायतों के लिए डी०एम०पो० तैयार करना। सरकारी विभागों के डी०एम०पी० तैयार करने पर भी विचार किया गया है।

(vi) ई०ओ०सी० की स्थापना तथा एस०ए०आर० और आपदा अनुक्रिया के प्रयाजन से आवश्यक उपस्करों की खरीद।

(vii) आपदा प्रबन्धन पर आई०ई०सी० के प्रचार, प्रसार हेतु ज्ञान केन्द्र (एच०पी०एस०डी०एम०ए०) स्थापित करना।

2.3.2 उपरोक्त सूची उदाहरणस्वरूप है संपूर्ण नहीं, गतिविधियाँ आवश्यकता तथा समय व स्थिति के अनुसार संचालित की जाएंगी।

2.3.3 आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन से विद्यमान संस्थानिक व्यवस्था राहत केन्द्रित है और इस प्रक्रिया में इस समय मात्र कुछेक विभाग ही शामिल है। परन्तु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार आपदा प्रबन्धन के लिए सक्रिय एवं मजबूत दृष्टिकोण अपेक्षित है। इसके दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अब बहुआयामी तथा बहुक्षेत्रीय विषय हो गया है। आपदा प्रबन्धन अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा प्रबन्धन को विकास योजनाओं व नीतियों, तत्परता, अनुक्रिया व पुनर्वास के क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु समस्त विभागों की विषयवस्तु बन गया है। क्षेत्रीय स्तर पर भी विभिन्न विभागों तथा पणधारियों की भूमिका में क्रियात्मक अस्पष्टता है।

अध्याय–3

द्रष्टिकोण और उद्देश्य

दूरदर्शिता:

3.1.1. रोकथाम, न्यूनीकरण, तत्परता व अनुक्रियात्मक संस्कृति के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित तथा समुदाय आधारित, सक्रिय एवं मजबूत नीति तैयार कर हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित एवं आपदा समुत्थानशील बनाना।

लक्ष्य:

3.2.1 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार इस लक्ष्य के साथ नीति तैयार की गई है कि आपदा जोखिम के अवशमन, रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु कारगर अनुक्रिया प्रणाली तैयार की जाए। नीति के अन्तर्गत आपदा उपरान्त राहत, पुनर्वास तथा पुननिर्माण नियम तथा मार्गदर्शन, हेतु भी दिशा–निर्देश प्रावधानित है। नीति का लक्ष्य आपदा प्रबन्धन में विद्यमान प्रक्रिया को मजबूत करना तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के दृष्टिगत नए निर्देश जारी किया जाना भी है। संक्षेप में, नीति का लक्ष्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अग्रसारित करना है।

आपदा प्रबन्धन (डी०एम०):

3.3.1. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (डी) के अनुसार "आपदा" से किसी क्षेत्र में घटित प्राकृतिक या मानवकृत ऐसी विपत्ति, अनिष्ट, विपदा या गंभीर घटना अभिप्रेत है, जो संयोगवश या असावधानीवश घटित हुई हो, और जिसके परिणामस्वरूप जानी नुकसान, मानव पीड़ा या क्षति हुई हो, तथा सम्पति को नुकसान अथवा पर्यावरण को अपकर्ष अथवा क्षति पंहुची हो, और इस प्रकृति अथवा तीव्रता से घटित हुई हो, जिसे नियंत्रित करना प्रभावित क्षेत्र की जनता के बस से बाहर हो। इसके अतिरिक्त धारा 2 (ई) के अधीन आपदा प्रबन्धन को योजना, आयोजन, समन्वय, तथा कार्यन्वयन उपायों की निरन्तर तथा एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक एवं व्यावहारिक हो :–

(i) किसी भी आपदा के संकट अथवा आशंका का निरोध;
(ii) किसी भी आपदा की गंभीरता अथवा परिणामों या इसके जोखिम का न्यूनीकरण अथवा कटौती / कमी;
(iii) क्षमता निर्माण;
(iv) किसी प्रकार की आपदा से निपटान की तत्परता;
(v) संभावित आपदा स्थिति या आपदा के प्रति तुरन्त अनुक्रिया;
(vi) किसी भी तरह की आपदा की गंभीरता या तीव्रता का निर्धारण;
(vii) निकास, बचाव एवं राहत; और
(viii) पुनर्वास तथा पुनःनिर्माण।

आपदा प्रबन्धन नैरन्तर्यः

3.4.1. विशिष्ट आपदा प्रबन्धन नैरन्तर्य छः घटकों से समाविष्ट है; आपदा पूर्व चरण में रोकथाम, न्यूनीकरण तथा तत्परता/तैयारी है, जबकि आपदा के उपरान्त चरण में अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनः निर्माण तथा समुत्थान सम्मिलित है। इन सभी घटकों को विधिक तथा संस्थानिक ढ़ांचे के माध्यम से इकट्ठा बांधा जाता है। (चित्र–1)

दृष्टिकोणः

3.5.1 आपदा प्रबन्धन के लिए एक मजबूत तथा समेकित दृष्टिकोण तैयार करना इस नीति का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर पणधारियों तथा ज्ञान संस्थाओं में नीतिगत साझेदारियां बनाने पर बल दिया जाएगा। नीति के निम्नलिखित प्रकरण हैः

(i) नीति, योजनाओं तथा क्रियान्वयन के सम्पूर्ण सम्मेकन सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन।
(ii) सभी चरणों तथा स्तरों पर क्षमता विकास।
(iii) पहले से प्रचलित उपायों तथा सर्वोतम पद्धतियों का सुदृढ़ीकरण।
(iv) स्थानीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय राष्टोय तथा अन्तर्राष्टोय स्तर की एजेंसियों से सहयोग।
(v) बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा सहक्रिया।

चित्र–2

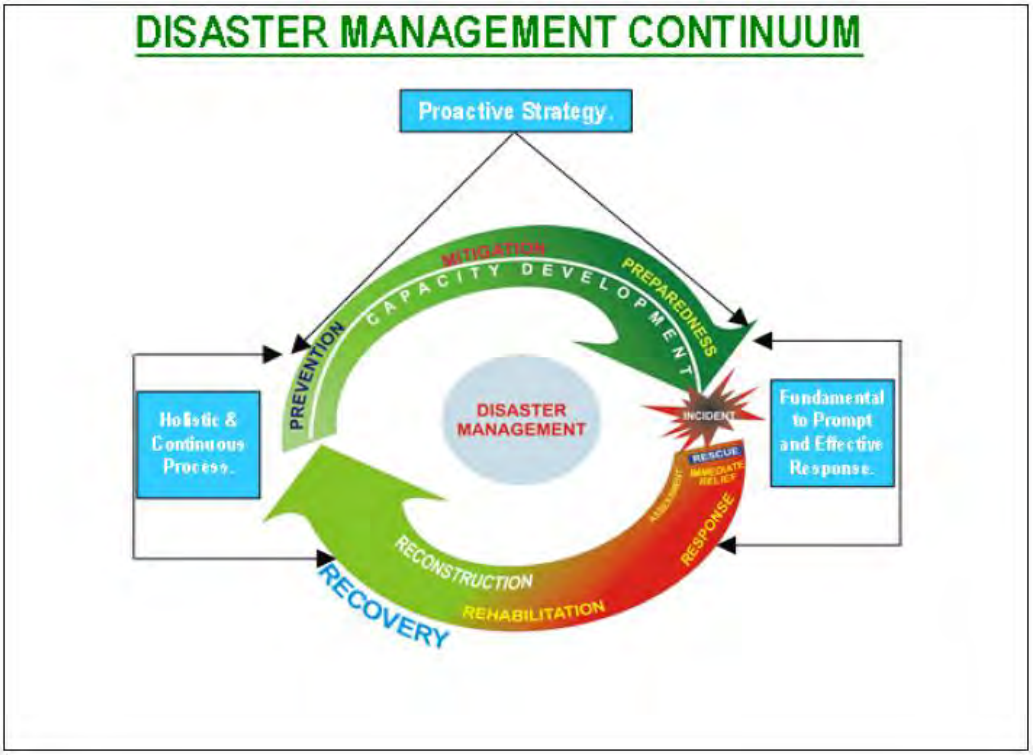

स्त्रोतः राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति, 2009

उद्देश्यः

3.6.1 हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) ज्ञान, नई पद्धति तथा शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तत्परता तथा समुत्थानशील संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

(ii) ऐसी गतिविधियां चलाना जिससे आपदाओं से निपटने हेतु पणधारियों तथा स्थानीय समुदायों में क्षमता निर्माण होता हो।

(iii) प्रौद्योगिकी, पारम्परिक ज्ञान तथा पर्यावरणिक स्थिरता के आधार पा सक्रिय अवशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(iv) आपदा प्रबन्धन को विकासात्मक योजना तथा प्रक्रिया को मुख्यधारा में शामिल करना।

(v) दीघकालिक आपदा अवशमन की दिशा में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए, आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत लिंगभेद सम्बन्धी मामलों का निराकरण करना।

(vi) विधिवत एवं सक्षम परिवेश तथा अनुपालना व्यवस्था तैयार करने के प्रयोजन से संस्थागत तथा प्राद्यो–विधिक संरचना स्थापित करना।

(vii) राजकोषीय भार को कम करने के उद्देश्य से जोखिम हस्तांतरण तथा प्रौद्यो–वित्तीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

(viii) कारगर संचार तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत आपात संचालन केन्द्रों (ई०ओ०जी०) की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।

(ix) आपदा जोखिम की पहचान, आंकलन तथा अनुश्रवण के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।

(x) स्चना प्रौद्योगिकी व्यवस्था सहित अनुक्रियात्मक तथा अचूक संचार व्यवस्था युक्त समसामयिक भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करना।

(xi) खोज तथा बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य को समय रहते तथा कारगर ढंग से संचालित करने हेतु संसाधनों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सूची तैयार कर रखना।

(xii) सभी स्तरों पर कारगर तथा मान्यता प्राप्त आपदा सम्बन्धी घटना हेतु अनुक्रियात्मक व्यवस्था उपलब्ध करवाना।

(xiii) मानवीय संकट तथा अपातकालोन तत्परता में सकूकित संस्थागत अनुक्रिया पद्धति को एकीकृत विकास नोति के तौर पर प्रोत्साहित करना।

(xiv) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए कुशल अनुक्रिया तथा राहत सुनिश्चित करना।

(xv) सामान्य स्थिति के दौरान जी०ओ०–एन०जी०ओ० में समन्वय तथा "मिल–जुल कर काम करने" की संस्कृति स्थापित करना ताकि यह प्रक्रिया आपात स्थिति में भी कारगर बने।

(xvi) पुननिर्माण कार्य को आपदा समुत्थान संस्थान तथा जीने के लिए सुरक्षित परिस्थितियां व पर्यावरण युक्त आवास बनाने के एक सुअवसर की तरह लेना।

(xvii) आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक जागरूकता तथा तत्परता के लिए आई०ई०सी० का प्रयोग करना।

(xviii) आपदा प्रबन्धन हेतु मीडिया के साथ प्रफिलित तथा सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करना।

(xix) सब से अच्छी प्रणालियों का प्रलेखन कर उपलब्ध जानकारी लखित समूह को प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(xx) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान तथा विकास का प्रोत्साहन।

अध्याय–4

संस्थागत और विधिक प्रबन्ध

राष्ट्रीय स्तर पर:

4.1.1 अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय तथा समन्वयक रचना तंत्र अधिकथित करता है। ये संस्थान समानान्तर संरचनाएं नहीं ह, अपितु निकटतम आपसी सौहादपूर्वक कार्य करते हैं। नई संस्थागत संरचना से यह प्रत्याशा है कि आपदा प्रबन्धन में पूर्व प्रचलित राहत केन्द्रित व्यवस्था को सक्रिय बना कर तत्परता, रोकथाम तथा न्यूनीकरण पर अधिक बल देने वाली बनाया जाएगा। राष्टीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एन०डी०एम०ए० एक शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं तथा दिशा–निर्देश तैयार करने के साथ–साथ उनको प्रवृत्त तथा क्रियान्वित करना इस समिति का उत्तरदायित्व है, जिससे आपदाओं के प्रति समय पर कारगर अनुक्रिया अमल में लाई जा सके। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन०डी०आर०एफ०) का सामान्य संचालन, निदेशन तथा नियंत्रण एन०डी०एम०ए० के अधीन रहेगा। राष्टीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (एन०आई०डी०एम०) एन०डी०एम०ए० द्वारा तैयार को गई व्यापक नीतियों तथा दिशा– निर्देशों के दायरे में कार्य करेगा। यह आवश्यक है कि एन०डी०एम०ए० द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं, चाहे व प्राकृतिक हों या मानवकृत, का निपटारा किया जाएगा। जबकि ऐसी अन्य आपात स्थितियां जैसे आतंकवाद (विरोधी–बागी) कानून एवं व्यवस्था, श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, सी०बी०आर०एन० शस्त्र तंत्र, खान विस्फोट, बन्दरगाह व पत्तन आपात स्थितियों, जंगल में आग, तेल क्षेत्र आग तथा तेल बहना इत्यादि का निपटान विद्यमान तंत्र, जो कि राष्ट्रीय आपदा संकट प्रबन्धन समिति (एन सी एस सी) है, द्वारा किया जाता रहेगा।

4.1.2 अधिनियम राष्टीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यपालक समिति (एन०ई०सी०) के गठन का भी उपबंध करता है। यह समिति केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी तथा भारत सरकार के कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त (व्यय) स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन, मंत्रालयों/विभागों के सचिव और सेनाध्यक्ष समिति के सदस्य और एकीकृत रक्षा सेना के अध्यक्ष इसके सदस्य

होंगे। विदेश मामलों, भू विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खनन, पोत परिवहन, पथ परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालयों के सचिव तथा एन०डी०एम०ए० के सचिव एन०ई०सी० की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। एन०ई०सी०, एन०डी०एम०ए० की कार्यपालक समिति है, जो एन०डी०एम०ए० के कार्य निष्पादन में सहयोग देने तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है। एन०ई०सी० किसी प्रकार की आपदा शंकित परिस्थिति या आपदा की सूरत में अनुक्रिया संचालन में समन्वय स्थापित करेगी।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एस०डी०एम०ए०):

4.2.1 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाओं दिशा–निर्देशों को तैयार करना तथा समय पर कारगर एवं समन्वित आपदा अनुक्रिया का कायान्वयन सुनिश्चित करना भी होगा। मुख्य सचिव एस०डी०एम०ए० का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त एस०डी०एम०ए० के सरकार के अन्य सदस्य हैं। एस०डी०एम०ए०, अन्य बातों के साथ–साथ एन०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन, राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार डी०एम०पी० का अनुमोदन करेगी, निर्देशक सिद्धान्त बनाएगी, जिनकी अनुपालना में आपदा रोकथाम एवं अवशमन उपायों को समेकित रूप में राज्य सरकार के विभाग अपनी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में शामिल करेंगे। राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगी। अवशमन तत्परता उपायों हेतु धन प्रावधानों की संस्तुति करेगी, रोकथाम, तत्परता तथा अवशमन उपायों के समेकन को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी, तथा अवशमन, क्षमता निर्माण तथा तत्परता के क्षेत्र में विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का पुनरीक्षण करेगी। राज्य में आपदा पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारण करने हेतु राज्य प्राधिकरण विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त अधिकथित करेगा।

राज्य कार्यकारी समितिः

4.3.1. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य कार्यकारी समिति गठित होगी, चार अन्य सचिव इसके सदस्य होंगे, यह समिति एस०डी०एम०ए० को कार्य निष्पादन में सहयोग देगी। एन०ई०सी० राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय तथा अनुश्रवण

करेगी, प्रदेश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न प्रकार की आपदाओं की संवेदनशीलता की जांच करेगी तथा उनके अवशमन तथा रोकथाम के उपाय सुझाएगी, प्रदेश के विभागों तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने के दिशा–निर्देश बनाएगी, तैयार किए गए डी०एम०पी० के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी, विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदाओं के अवशमन तथा रोकथाम उपायों के समेकन हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी, आपदा आशंकित परिस्थितियों अथवा आपदा की स्थिति में सरकारी एवं गैर सरकारी, सभी स्तरों पर प्रतिक्रिया सम्बन्धी तत्परता का मूल्यांकन तथा यथावश्यक निर्देशन करेगी। इस प्रकार की तत्परता को बढ़ाने के लिए किसी आपदा आशंकित परिस्थिति अथवा आपदा के समय प्रतिक्रिया का निर्देशन करेगा, प्रदेश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न संभावित आपदाओं के दृष्टिगत सामान्य ज्ञान, जागरूकता तथा सामुदायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, आपदा प्रबन्धन से जुड़े सरकारी विभागों, जिला प्राधिकरणों, संविधिक निकायों तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को एतद सम्बन्धी गतिविधियां संचालित करने हेतु परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेगी।

4.3.2 इसके साथ–साथ एस०ई०सी० जिला प्राधिकरणों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को, कारगर ढंग से कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग और परामर्श प्रदान करेगी, आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी वित्तीय प्रकरणों बारे राज्य सरकार को परामर्श देगी। राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्य की जांच करेगी और यदि उसे ऐसा लगे कि आपदा रोकथाम के दृष्टिगत ऐसे निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो स्थानीय प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण को निर्देश देगी कि वे निर्धारित मानकों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिला स्तरीय योजनाए बनाई गई हैं, राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया तथा दिशा–निर्देशों को तैयार करेगी तथा उनकी समीक्षा एवं आधुनिकीकरण करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि संचार व्यवस्था कार्यशील है तथा आपदा प्रबन्धन अभ्यास समय–समय पर किए जा रहे हैं। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं बारे एस०ई०सी० द्वारा एन०डी०एम०ए० को भी सूचित किया जाएगा।

राज्य एवं जिला संकट प्रबन्धन समूहः

4.4.1 प्रदेश में राज्य तथा जिला स्तर पर संकट प्रबन्धन समूह गठित किए गए हैं। राज्य संकट प्रबन्धन समूह का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, यह प्रबन्धन समूह साधारणतः समस्त संकट परिस्थितियों का निपटान करेगा और जिला संकट प्रबन्धन समूह को परामश एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। जिला संकट प्रबन्धन समूह का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया है और यह आपातकालीन घटनाओं के मौके पर प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी०डी०एम०ए०):

4.5.1 डी०डी०एम०ए० का गठन यथास्थिति जिला समाहर्ता, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकरण का चयनित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। डी०डी०एम०ए० जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए योजना, समन्वय तथा क्रियान्वयन निकाय की भूमिका का निर्वहन करेगी और एन०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप आपदा प्रबन्धन के प्रयोजनों के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगी। जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के साथ–साथ यह राष्ट्रीय नीति, राज्य नोति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण भी करेगी। डी०डी०एम०ए० यह भी सुनिश्चित करेगी कि एन०डी०एम०ए० तथा एस०डी०एम०ए० द्वारा रोकथाम, अवशमन, तत्परता तथा अनुक्रियात्मक उपायों के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों का राज्य सरकार के विभागों द्वारा जिला स्तर पर तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जिला में पालन किया जा रहा है।

4.5.2 डी०डी०एम०ए० इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिला में अति संवेदनशील आपदा क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है और आपदा की रोकथाम तथा इसके प्रभाव के अवशमन के उपाय किए गए हैं, सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम तथा इसके प्रभाव के अवशमन, तत्परता तथा अनुक्रियात्मक उपायों हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का विभागों द्वारा पालन किया जा रहा है, जिला में स्थानीय प्राधिकरणों तथा जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश तैयार करेगा, सरकारी विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबन्धन योजनाओं के जिला स्तर पर कार्यन्वयन का अनुश्रवण करेगा। सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर अपनी विकास योजनाओं तथा

परियोजनाओं में आपदा रोकथाम तथा अवशमन उपायों को समेकित किए जाने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करेगा तथा उनके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा। जिला स्तर पर किसी आपदाओं या संभावित आपदा पर प्रतिक्रिया हेतु दक्षता स्थिति एवं तत्परता स्तर की समीक्षा तथा उनके उन्नयन हेतु यथावश्यक पग उठाएगा। जिले में विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कायक्रम संयोजित तथा संचालित करना। स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा रोकथाम या अवशमन हेतु सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बनाना, पूर्व चेतावनो देने तथा जनता तक समुचित सूचना पहुंचाने के तंत्र स्थापित करना, उनकी देख–रेख, समीक्षा तथा आधुनिकीकरण करना। जिला स्तरीय प्रतिक्रिया योजना व दिशा निर्देश तैयार करना, उनकी समीक्षा तथा आधुनिकीकरण करना।

4.5.3 डी०डी०एम०ए० किसी भी संभावित आपदा या आपदा पर प्रतिक्रिया का संयोजन भी करेगा, जिला में स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कार्य निष्पादन में संयोजन, आवश्यक तकनीकी सहायता या परामर्श देगा, जिला के किसी भी क्षेत्र में निर्माण कार्य की जांच कर सम्बन्धित प्राधिकरण को, उस क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित निर्माण मानक प्राप्त करने हेतु, अपेक्षित पग उठाने के निर्देश देगा, तथा ऐसे भवनों एवं स्थानों को चिन्हित करेगा जिन्हें किसी आपदा अथवा संभावित आपदा परिस्थिति की सूरत में राहत केन्द्रों या शिविरों के लिए प्रयोग किया जा सके तथा ऐसे भवनों या स्थलों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबन्ध करना, राहत एवं बचाव सामग्री के भण्डारण स्थापित करना या ऐसी सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। डी०डी०एम०ए० आपदा प्रबन्धन हेतु जिला में सरकारी संगठनों तथा निचले स्तर तक कार्यरत स्वैच्छिक– सामाजिक कल्याण संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि संचार व्यवस्था क्रियाशील है, और समय–समय पर आपदा प्रबन्धन अभ्यास किए जा रहे हैं।

स्थानीय प्राधिकरण:

4.6.1 इस नीति के प्रयोजन हेतु से स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायती राज संस्थाएं (पी०आर०आई०) नगर परिषदें, जिला एवं छावनी संस्थागत एवं विधिक प्रबन्ध बोर्ड, नगर योजना प्राधिकरण, जो नागरिक सेवाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण देखती है, भी शामिल हैं। ये सभी निकाय प्रभावित क्षत्रों में राहत कार्य, पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण गतिविधियों के

दृष्टिगत, अपन अधिकारियों व कर्मचारियों में दक्षता निर्माण सुनिश्चित करेगी और एन०डी०एम०ए०, एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करेंगी। आपदा प्रबन्धन के लिए विनिर्दिष्ट संस्थागत संरचना, शहरों / नगरों में स्थापित की जाएगी।

राज्य आपदा प्रबन्धन संस्थान (एस०आई०डी०एम०) / उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए०टी०आई०):

4.7.1 प्राशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन तथा राज्य स्तर पर सूचना आधार विकसित करने के साथ–साथ, अन्य अनुसंधान संस्थाओं की सहभागिता से दक्षता विकास एस०आई०डी०एम०/ए०टी०आई० के प्रमुख दायित्वों में एक है। यह अन्य ज्ञान आधारित संस्थाओं से तालमेल बनाते हुए एस०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं वृहत नीतियों के अधीन कार्य करेगा। यह प्रशिक्षकों, आपदा प्रबन्धन कमचारियों तथा अन्य पणधारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसलिए एस०आई०डी०एम०/ए०टी०आई० ऐसे सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अन्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा निजी क्षत्रीय संस्थाओं के साथ भी ताल–मेल रखेगा। प्रदेश में आपदा प्रबन्धन क क्षेत्र में एस०आई०डी०एम०/ए०टी०आई० एक "सैंटर आफ एक्सीलैंस" के रूप में उभरने के लिए प्रयास करेगा।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल:

4.8.1 संभावित आपदा परिस्थितियों या आपदा/आपात स्थितियों, वे चाहे प्राकृतिक हा या मानवकृत, (जैस सी०बी०आर०एन० प्रवृति की) से विशेष तरीके से निपटने के लिए अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन०डी०आर०एफ०) के गठन का प्रावधान है। एन०डी०आर०एफ० का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, जिसे देश के विभिन्न भागों में तैनात किया गया है। एन०डी०एम०ए० राज्यों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने विद्यमान संसाधनों से प्रतिक्रिया क्षमता का सृजन करें। आरम्भ में प्रत्येक राज्य एक बटालियन के बराबर बटालियन का एवं उसके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखें। एस०डी०आर०एफ० का गठन राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। इसमें महिला सदस्य भी होंगें ताकि महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखा जा सके। एस०डो०आर०एफ० को प्रशिक्षित करने के

लिए एन०डी०आर०एफ० बटालियनों और उनकी प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रयोग किया जाएगा। एस०डो०आर०एफ० को अधिक संसाधन युक्त बनाने के प्रयोजन से चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त अवशमन भण्डारण रखा जाएगा ताकि एस०डो०आर०एफ० की आपात प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ सके।

राज्य सरकार:

4.9.1 आपदा का प्रबन्धन, राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर स्थापित संस्थागत तंत्र कारगर तरीके से आपदाओं का प्रबन्धन करने में मदद करेंगे। अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने, आपदा निरोध या अवशमन के समेकित उपायों को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करने, निधि आवंटन, पूर्व चेतावनी व्यवस्था की स्थापना के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्र सरकार तथा अन्य एजंसियों को सहयोग देगी।

4.9.2 अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन से राज्य सरकार वे सभी पग उठाएगी जिन्हें वह आवश्यक अथवा समयोजित समझे, और सभी विभागों/एजंसियों की कार्यवाही को समन्वित करेगी। राज्य सरकार के विभाग विभिन्न आपदा–पूर्व आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय तथा आपदा निरोध एवं अवशमन के उपाय निर्धारित करते हुए सरकार की संस्तुतियों को विचाराधीन रखेंगे। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकारी विभागों तथा एजैंसियों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा निरोध एवं अवशमन उपायों को आमेलित कर लिया गया है, आपदा पूर्व आवश्यकताओं हेतु उचित धन आवंटन किया गया है और किसी प्रकार की आपदा परिस्थिति अथवा आपदा से कारगर ढ़ग से निपटन हेतु आवश्यक तत्परता उपाय कर लिए गए हैं। एस०ई०सी०, राज्य सरकार के विभागों अथवा उनके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी कि वे आपदा प्रबन्धन के कार्य को सुकर बनाएं अथवा इसमें सहयोग करें, और ये संस्थाएं या पदस्थ ऐसे निदेशों के पालन हेतु बाध्य होंगे। यह आपदा प्रबन्धन के लिए शस्त्र सेना की तैनाती हेतु कदम उठाएगी। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में राज्य सरकार केन्द्र सरकार के माध्यम से यू०एन० एजंसियों, अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सरकारों के साथ भी समन्वय को सुकर बनाएगी।

राज्य तथा जिला स्तर पर राजकीय विभागों की भूमिकाः

4.10.1 प्रदेश सरकार के प्रत्येक विभाग का दायित्व होगा कि वह एस०इ०सी० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित डी०एम०पी० तैयार करें, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य तथा जिला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा निरोध, अवशमन, तत्परता तथा दक्षता निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए। अन्य बातों के साथ–साथ विभाग अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा निरोध एवं अवशमन उपायों को भी जोड़ेगें आपदा निरोध, अवशमन दक्षता निर्माण तथा तत्परता हेतु निधि आवंटित करेंगें, डी०एम०पी० के अनुसार तथा एस०ई०सी० अथवा डी०डी०एम०ए० द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन आपदा संभावित परिस्थितियों या आपदा पर तुरन्त कारगर प्रतिक्रिया करेंगे, इसके द्वारा लागू किए गए अधिनियमों, इसकी नीतियों तथा विनियमों की इस आशय से समीक्षा करेंगे ताकि उनमें राष्ट्रीय कार्यपालक समिति राज्य कार्यपालक समिति तथा जिला प्राधिकरण की अपेक्षानुसार वे उपबन्ध किए जा सके जा आपदा निरोध, अवशमन अथवा तत्परता, सहायता प्रदान करने अवशमन, तत्परता तथा प्रतिक्रिया योजनाएं बनाने, क्षमता निर्माण डाटा एकत्रीकरण एवं पहचान तथा कमियों को आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने, किसी भी आपदा से हुई क्षति के अंकन, पुनर्वास एवं पुननिर्माण कार्य करने हेतु आवश्यक हों।

4.10.2 जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग राज्य प्राधिकरण के परामर्श से संसाधनों के लिए भी प्रावधान करेगा, राज्य में घटित किसी भी आपदा पर तुरन्त एवं कारगर प्रतिक्रिया के प्रयोजन से विभाग अपने संसाधनों को राष्ट्रीय कार्यपालक समिति अथवा राज्य कार्यपालक समिति या जिला प्राधिकरणों को उपलब्ध करवाएगा, जिसमें संवेदनशील या प्रभावगस्त क्षेत्रों के साथ आपात संचार–व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र से कर्मियों एवं राहत सामग्री को लाना ले जाना; निकास, बचाव अस्थाई आश्रय या अन्य तुरन्त राहत, किसी आपदा संभावित अथवा आपद क्षेत्र से व्यक्तियों या पशुधन की निकासी, अस्थाई पुलों को बनाना, घाटों एवं अवतरण स्थलों, पेयजल प्रदान करना, अनिवार्य प्रावधान, प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य कार्रवाई जो आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक हों, भी शामिल है।

जिला प्रशासनः

4.11.1 जिला स्तर पर डी०डी०एम०ए० आपदा प्रबन्धन के लिए जिला आयोजना, समन्वय तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा एन०डी०एम०ए० एवं एस०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला में आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन से सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

अन्य संस्थागत प्रबन्धः

4.12.1 सशस्त्र बल

संकल्पनवश, सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु केवल उसी अवस्था में बुलाया जाता है जब स्थिति को संभालना प्रशासन की क्षमता से बाहर हो। तथापि, वास्तव में सशस्त्र बल सरकार की प्रतिक्रिया क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो गंभीर आपद परिस्थितियों में तुरन्त प्रतिक्रियाकारी होता है; किसी भो प्रतिकूल चुनौती से निपटन हेतु इसकी अपार संभाव्यता, प्रतिक्रियात्मक कारवाई की गति तथा इसके पास उपलब्ध संसाधनों एवं दक्षता के बल–बूते आपात मदद कार्यों में सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक एवं प्रमुख भूमिका रही है। इसमें संचार, अनुसंधान एवं बचाव कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, तथा परिवहन, (विशेष तौर पर, आपदा के तुरन्त बाद), शामिल हैं। वायुयान के माध्यम से, हैलीकाप्टर द्वारा सेवाएं तथा पड़ोसी देशों तक सहायता पहुचाना सशस्त्र बलों की सुविश्रता एवं प्राधिकार क्षेत्र में आता है। सशस्त्र बल प्रशिक्षकों, आपदा प्रबन्धन आयोजकों को प्रशिक्षण, विशेषतः सी०बी०आर०एन० के दृष्टिकोण से हैलीकाप्टर सम्बन्धी, ऊंचाई वाले स्थलों पर बचाव, नाविकीय, तथा अर्धचिकित्सीय प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष जो एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख भी हैं, को पहले ही एन०ई०सी० में शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार राज्य तथा जिला स्तरों पर निकटतम समन्वय तथा सम्बद्धता सुनिश्चित करने हेतु सशस्त्र बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को कार्यपालक समितियों में शामिल किया जाएगा।

4.13.1 केन्द्रीय अर्धसैनिक बल

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल (सी०पी०एम०एफ०) जो भारत के सशस्त्र बल भी हैं, जो आपदा पर तुरन्त प्रतिक्रियात्मक कार्यवाई के समय अहम

भूमिका निभाते हैं। एन०डी०आर०एफ० को योगदान देने के साथ–साथ, वे अपने बलों में आपदा प्रबन्धन दक्षता का पर्याप्त विकास करते हैं और उनकी तैनाती वाले क्षेत्रों में घटित आपदाओं पर प्रतिक्रियात्मक कार्यवाई अमल में लाते हैं। सी०पी०एम०एफ० के स्थानीय प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय कार्यपालक समिति में सहयाजित/ आमंत्रित किया जाएगा।

4.14.1 राज्य पुलिस बल एवं भारतीय आरक्षित बटालियान

आपदाओं पर तुरन्त प्रतिक्रियाकर्ता की हैसियत से राज्य पुलिस बल तथा भारतीय आरक्षित बटालियन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यमान पुलिस बलों को एस०ए०आर० तथा एम०एफ०ए० सम्बन्धी उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि आपदा परिस्थितियों /घटनाओं पर उनकी सेवाओं का प्रयोग किया जा सके। आपदा प्रबन्धन, एस०ए०आर० तथा एम०एफ०ए० सम्बन्धी प्रशिक्षण को नई भर्ती स्तर पर आरम्भ किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं तथा गृह रक्षा सेवाएं

4.15.1 आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कारगर भूमिका का दायित्व सौंपे जाने के प्रयोजन से नागरिक सुरक्षा तथा गृह रक्षा के अधिदेश को पुनः निर्धारित किया जाएगा। उन्हें एस०ए०आर०, सामुदायिक तैयारियों, मॉक डिल आयोजन तथा जनता को जागरूक करने हेतु तैनात किया जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में ड्यूटी स्टेशन पर स्वच्छा से रिपोर्ट करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं को, बहु आपद बचाव दक्षता युक्त बनाने के प्रयोजन से, स्तरोन्नत किया जाएगा। नई भूमिकाओं का अधिक कारगर ढंग से निर्वहन करने के प्रयोजन से इन सेवाओं के विद्यमान ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०एस०एस०), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन०वाई०के०एस०) स्काऊॅट एवं गाईड, युवा एवं महिला संगठनों की भूमिकाः

4.16.1 एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, एन०वाई०के०एस०, स्काऊॅट एवं गाईड, महिला एवं युवा संगठनों को आपदा प्रबन्धन के साथ जोड़ा जाएगा। इन संगठनों को अनुसंधान एवं बचाव (एस०ए०आर०) तथा चिकित्सीय प्रथम उपचार (एम०एफ०ए०) एवं आवश्यकतानुसार आपदा प्रबन्धन के

अन्य पहलुआं सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संगठनों की सम्भव्यता को शिक्षा तथा आपदा प्रबन्धन में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर, एन०वाई०के०एस० तथा शिक्षा विभाग द्वारा अपने–अपने प्रशिक्षण संगठनों में आपदा प्रबन्धन विषय को जोड़ा जाएगा।

राज्य में डी०एम० की रूप रेखा

4.17.1 राज्य में डी०एम० की रूप रेखा तैयार की गई है जिसे अनुबन्ध–1 पर दिया गया है।

अध्याय–5

वित्तीय प्रबन्ध

दृष्टिकोणः

5.1.1 आपदा प्रबन्धन में राहत केन्द्रित व्यवस्था के स्थान पर निरोध, अवशमन, क्षमता निर्माण, तत्परता, प्रतिक्रिया, निकास, बचाव, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के बारे में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप, सभी स्तरों पर सरकार की विकास प्रणाली, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा समेकित आपदा जोखिम को कम करने एवं मुख्यधारा मे लाने के प्रयास किए जाएगें। ऐसा किए जाने हेतु पणधारियों, सरकारी संगठनों, अनुसंधान एवं अकादमिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र, उद्योगों, नागरिक सोसायटी संगठनों तथा समुदाय, सभी को शामिल किया जाएगा। विद्यमान एवं नए विकासात्मक कार्यक्रमों व परियोजनाओं के विकास एजेंडा में एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा आपदा जोखिम कटौती को सुचारू रूप दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इनके कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के अन्तर्गत डिजाईन एवं निर्माण के क्षेत्र में आपदा समुत्थान विशिष्टताओं को समाविष्ट किया जाएगा। संसाधन आवंटन करते हुए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्र की विद्यमान संवेदनशीलता में वृद्धि सम्भाव्य परियोजनाओं के स्थान पर इसे घटाने में मददगार परियोजनाओं को अधिमान दिया जाएगा।

आपदा प्रतिक्रिया एवं अवशमन निधिः

5.2.1 अधिनियम में यथाअधिद्रेशित के अनुसार जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा राज्य आपदा अवशमन निधि और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं जिला आपदा अवशमन निधि स्थापित की जाएगी। एस०डी०एम०ए० तथा सम्बन्धित डी०डी०एम०ए० द्वारा भारत सरकार के निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार आपात कालीन प्रतिक्रिया, राहत व पुनर्वास सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिए क्रमशः राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार अवशमन के प्रयोजन से, क्रमशः एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा अवशमन निधि का प्रयोग किया जाएगा।

राज्य के विभागों एवं एजेंसियों के उत्तरदायित्वः

5.3.1 समस्त राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, पी०आर०आई० तथा यू०एल०बी० योजनाओं के समर्थन में वित्तीय प्रक्षेपण सहित, अपनी–अपनी आपदा पबन्धन योजनाएं तैयार करेंगे। आवश्यक धन आबंटन, उनके वार्षिक बजट आबंटन के हिस्से के रूप में तथा चल रहे कार्यक्रमों के आधार पर किया जाएगा। वे अवशमन परियोजनाओं को भी चिन्हित करेंगे और उन्हें एस०डी०एम०ए० / डी०डी०एम०ए० के परामर्श से वित्त पोषण हेतु उचित निधिकरण एजैंसियों को प्रस्तुत करेंगे। अवशमन परियोजनाएं तैयार करते हुए एन०डी०एम०ए० द्वारा विभिन्न आपदाओं सम्बन्धी जारी किए गए दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखा जाये।

प्रौद्यो–वित्तीय व्यवस्थाः

5.4.1 यह विचारित करते हुए कि बचाव, राहत, पुनर्वास तथा पुननिर्माण आवश्यकताओं हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से आपदा द्वारा हुई भारी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती, आपात जोखिम वित्त प्रबन्धक, जोखम बीमा, आपात बॉण्ड, लघु–वित्त एवं बीमा इत्यादि नए वित्तीय साधनों को इस प्रकार की व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा संगठित क्षेत्र को हुई क्षति को पूरा करने के लिए समुत्थान वित्तीय प्रेरणास्त्रोत के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में रासायनिक घटना पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन अधिनियम पर्यावरण राहत निधि, उल्लेखनीय है। आपदा जोखिम बीमा, लघु–वित्त तथा लघु बीमा, नव–निर्मित घरों एवं संरचनाओं पर वांरटी तथा गृह ऋणों पर सुरक्षित निर्माण की शर्तें आदि जैसे कुछ वित्तीय व्यवहारों को अपनाने पर विचार किया जाएगा।

अध्याय–6

आपदा रोकथाम, अवशमन तथा तत्परता

6.1.1 मानव–निर्मित आपदाओं की भांति, अचानकी बाढ़, भूकम्प, तथा बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता। तथापि जोखिम प्रवृति क्षेत्र में उचित विकासात्मक आयोजना तथा अवशमन उपायों के माध्यम से इन संकटों को विध्वंसकारी रूप धारण किए जाने से रोका जा सकता है, यदि अग्रिम निरोधक एवं अवशमन उपाय किए जाएं। इसके लिए वर्तमान विकास प्रतिमानों प्रक्रिया तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। आपदा चूंकि विकास से जुड़ी समस्या है, अतः मात्र इसकी पद्धति को निरोधक एवं अवशमनयुक्त बनाएं जाने की आवश्यकता है। अवशमन उपायों का प्रयोग करने हेतु बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत हैः

(i) समस्त विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों मे जोखिम घटाने तथा अवशमन रोधी घटकों को शामिल किया जाना।
(ii) एन०डी०एम०ए० द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सरकारी विभागों तथा एजैंसियों के सहयोग से विभिन्न संकटों हेतु राज्य स्तर पर अवशमन योजनाएं आरम्भ करना।
(iii) राज्य में बचाव एवं सुरक्षा प्रणाली विकसित करना।
(iv) डी०आर०आर० घटकों को विकास योजनाओं, नीतियों तथा परियोजनाओं में शामिल करना।
(v) उन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकताओं देना जिनसे क्षेत्र की संवेदनशीलता को कम करने में सहयोग मिले।
(vi) विभिन्न राज्यों तथा समाज के वर्गों द्वारा आपदा पर एवं उससे निपटने के लिए अपनाए गए देशी ज्ञान को विधिवत् वरीयता दी जाएगी।

डी०आर०आर० को मुख्यधारा से जोड़नाः

6.1.2 प्रत्येक विभागों, संगठनों तथा एजैंसियों द्वारा सभी स्तरों पर विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों में डी०आर०आर० प्रकरणों को डाला जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा प्रारम्भ या वित्त–पोषित सभी विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम सम्भाव्यता से ले कर इसके प्रभाव से निपटने तक, पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि सरकार द्वारा आरम्भ या वित्त–पोषित विकास

कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं से, सामाजिक, शारिरिक, आर्थिक तथा पर्यावरर्णिक में जैसे सभी क्षत्रों में अनजाने में संवेदनशीलता के स्तर में वृद्धि न होने पाए। यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा आरम्भ या वित्त–पोषित समस्त राहत, पुनर्वास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि उनसे विकास के लक्ष्यों को पाने तथा भविष्य में आपदा जोखिम को कम करने में सहयोग मिले।

जोखिम मूल्यांकन तथा संवेदनशील मानचित्रणः

6.2.1 आपदा निरोध तथा अवशमन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि तहसील तथा स्थानीय स्तर पर संकटीय क्षेत्र, संवेदनशील मानचित्रण तथा जोखिम विश्लेषण (एच०आर०वी०ए० विश्लेषण) की एक बहुसंकटीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। कारगर आपदा प्रबन्धन योजना के दृष्टिगत प्रमुख नगरों व शहरी समूहों का गहन अध्ययन किया जाना अपेक्षित होगा। एच०आर०वी०ए० अध्ययन जी०आई०एस०, रिमोट सेसिंग डाटा एवं अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, ताकि यह अध्ययन आपद प्रबन्धन हेतु एक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में काम करे। आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, आपदा प्रबन्धन में जी०आई०एस०, रिमोट सैंसिंग तथा सर्वभौमिक अवस्थिति प्रणाली के बदले प्रयोग से, एक इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस के माध्यम से, विषय सम्बन्धी तथा आकाशीय डाटा को सांझा करने हेतु ऐसा तंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य हो गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण मानचित्रों को एकत्रित, संकलित, विश्लेषित तथा तैयार करने हेतु एन०एस०डी०आई० की स्थापना की गई है, ताकि आपद प्रबन्धन के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक प्रासंगिकताओं के प्रबन्धन हेतु विभिन्न एजैंसियों द्वारा इन मानचित्रों का प्रयोग किया जा सके। प्रभावी नीति विश्लेषण को सरल बनाने के प्रयोजन से एन०एस०डी०आई० को डाटा की पारस्परिक व्यवहार्यता तथा सूचना सांझाकरण नयाचार की दिशा में काम करना होगा। सरल एवं तुरन्त सांझाकरण हेतु एन०एस०डी०आई० तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क के मध्य दोहरा पास्परिक व्यवहार्य सम्पर्क स्थापित किया जाएगा। एन०डी०ई०एम० के तहत सुरक्षित वातावरण में आकाशीय एवं गैर–आकाशीय डाटा बेस बनाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम द्वारा आपदा प्रबन्धन की सूचना सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने हेतु एन०एस०डी०आई० के माध्यम से टाटा सैट प्राप्त होंगे। अनिवार्य मूलभूत भू–आकाशीय डाटासैट संचयन तथा इसके प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा ताकि आपदा की घटना पर तुरन्त इसका प्रयोग किया जा सके।

शहरी क्षेत्रों में आपदओं का प्रबन्धनः

6.3.1 प्रभावी एवं प्रमाणक आपद प्रबन्धन योजनाओं के बावजूद शहरी क्षेत्रों में आपदाएं विभिन्न प्रकार से भिन्न होती है और क्षति का स्तर भी साधारणतया अत्यधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में खोज एवं बचाव प्रयासों के क्षेत्र में भी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अनियोजित शहरीकरण पर रोक तथा सभी प्रकार की आपदाओं के विरूद्ध सुरक्षित मानव बस्तियों का सुनिश्चियन प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाएगा। स्थानीय शहरी निकायों के प्राधिकारी, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि प्राकृतिक निकासी व्यवस्था में कोई अवरोध न पड़े, शहरी निकास प्रणाली में सुधार लाए जाने को प्राथमिकता देंगे। शहरी जोखिमों के प्रबन्धन के लिए निर्णीत समर्थन प्रणाली (डी0एस0एस0) विकसित करने हेतु अधोसंरचना का शहरी मानचित्रण रूपान्तरण से किया जाएगा। स्थानीय शहरी निकायों को अपने–अपने अधिकार–क्षेत्र में आपदरोधी निर्माण तथा भवन संहिता व विनियम प्रवृत एवं क्रियान्वित करने होंगे।

संकटपूर्ण अधोसंरचनाः

6.4.1 यह अति आवश्यक है कि जलाशयों, विद्युत परियोजनाओं, सड़कों, पुलों, रेल लाईनों, बिजली घरों, जल भण्डारण टैंकों, सिंचाई नहरों, नदियों के तटों, संचार नेटवर्क, तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं जैसी संकटपूर्ण अधोसंरचना का वैश्विक सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप नियमित अनुश्रवण किया जाता रहे और जहां त्रुटियां हों उन्हें दूर कर सुदृढ़ बनाया जाए। संकटपूर्ण अधोसंरचना के भवन मानकों को संरक्षा मानदण्डों के अनुरूप रखा जाए और सम्बन्धित विभाग/ प्राधिकारी इसके लिए अपेक्षित कार्यवाई तथा उपाय सुनिश्चित करेंगे।

पयावर्णीय अनुकूल विकासः

6.5.1 हिमालयन पर्वतमालाएं अल्पव्यस्क हैं और यहां की पारिस्थितिकीय स्थिति कमजोर है। हिमालय को देश के उत्तरी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु यहां की पर्यावर्णीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है। ठोस एवं औद्योगिक कचरे का निपटान इस प्रकार से करना होता है कि उससे जलस्त्रोत दूषित न हों। जिन क्षेत्रों में पर्यावरण का ह्रास हुआ है वहां पर पारिस्थितिकीय सन्तुलन पुनः बहाल किया जाना होगा। पारिस्थितिकीय सन्तुलन तथा पर्यावरण अनुकूल विकास की दृष्टि से वनों, तथा नदियों एवं कृष्य

पारिस्थितिकी तंत्र, शहरी एवं औद्योगिक वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। क्षेत्रीय व्यावस्थापन द्वारा प्राकृतिक नालों, वन क्षेत्रों तथा प्राकृतिक बस्तियों का परिरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

जलवायु–परिवर्तन अनुकूलनः

6.6.1 इस बात के संकेत मिले हैं कि हिमाचल की तापन दर वैश्विक तापन दर से काफी अधिक है। यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ध्रुवीय शिखरों के बाहर दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले इस क्षेत्र में हिम एवं बर्फ की मात्रा अधिक है, अधिकांश दक्षिणी एशिया के जलवायु को हिमालय प्रभावित करते हैं और हिमालय के हिमनद विश्व कि अन्य क्षेत्रों के हिमनदों की अपेक्षा तेजी से घटते जा रहे हैं। आल्पीय पारिस्थितिकी विशेषतः तापन की दृष्टि से संवेदनशील है। इससे स्कींग जैसे मनोरंजक पर्यटन भी प्रभावित होगा। अनेकों वानस्पतिक प्रभतियों के अकुंरित न होने का अंदेशा रहेगा यदि जलवायु परिर्वन के कारण उनके बीज पक जाने तथा बरसात बरसने के मध्य का तालमेल टूट जाता है। इसलिए जलवायु परिर्वतन से हमारे हिमनद भण्डारों, जल संतुलन, कृषि, वानिकी, जैव विविधिता तथा मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इस बात के पक्के संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप चक्रवातों, बाढ़ों, बादल फटने, अचानकी बाढ़ों तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की दर तथा गति में वृद्धि होगी। इन चुनौतियों से सतत एवं कारगर ढ़ंग से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जोखिम कम करने हेतु हमारे दृष्टिकोण तथा नीतियों में सहयोगिता को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करनाः

6.7.1 समुदाय एक ओर आपदा पीड़ित है तो दूसरी ओर आपदा के प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता भी होते हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना कोई भी आपदा प्रबन्धन प्रतिक्रिया कारगर नहीं हो सकती हैं। इसके साथ–साथ जिला तथा स्थानीय प्राधिकरण अपनी डी०एम० दक्षता निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और राज्य सरकार इस प्रयोजन से इन प्राधिकरणें को आवश्यक सहयोग देने के प्रसास करेगी। विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, केन्द्र सरकार विभागों, आई०आर०बी०, सी०पी०एम०एफ० तथा अन्य पणधारियों की भूमिकाएं परिभाषित एवं स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी होंगी। सभी स्तरों पर डी०एम० योजनाएं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के दिशा–निर्देशों एवं

उपबन्धों के अनुसार तैयार की जाएंगी। राज्य योजना एस०ई०सी० द्वारा, आपदा तथा विषय–विशेष सम्बन्धी योजनाएं सरकारी विभागों द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर तैयार की जाएगी; ये योजनाएं क्रमशः राज्य स्तर पर एस०डी०एम०ए० तथा जिला स्तर पर डी०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी। आपेक्षिक आपदा सम्बन्धी संवेदनशीलताओं के दृष्टिगत कार्यकारी जिला योजनाएं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानां के अधीन एस०डी०एम०ए०, तथा एन०आई०डी०एम० द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी। डी०एम०पी० सभी पणधारियों के परामर्श से तैयार की जाएगी। सभी स्तरों पर डी०आर०आर० घटकों को विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों में समेकित एवं शामिल किया जाएगा और आपदा निरोध, अवशमन तथा तत्परता को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। इन योजनाओं को तैयार करने तथा इन्हें परिचालित करने के लिए उपरी स्तर से निचले स्तर का समन्वय तथा निचले स्तर से उपर तक के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा।

6.7.2 सुचारू प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयोजन से आपात सहायता कार्यक्रम चिन्हित किए जाएगें और ई०एस०एफ० के कार्य निष्पादन हेतु मानकीकृत संचालन प्रक्रिया निर्देशक सिद्धान्त बनाएं जाएगें। प्रत्येक ई०एस०एफ० विभाग द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएगें जिन्हें ई०एस०एफ० कार्य निष्पादन की शक्तियां प्रदत्त होंगी।

चिकित्सीय तैयारी तथा सामूहिक हताहत प्रबन्धनः

6.8.1 चिकित्सीय तैयारी किसी भी आपदा प्रबन्धन योजना का महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रत्येक अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में सामूहिक प्रबन्धन तथा वर्गीकरण करने के क्षेत्र मे चिकित्सीय दलों एवं अर्द्धचिकित्सीय दलों को प्रशिक्षित करने और उनमें क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन योजनाएं बनाई जानी आवश्यक हैं। एन०डी०एम०ए० द्वारा आपात चिकित्सा प्रतिक्रिया तथा सामूहिक हताहत प्रबन्धन क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से नीति निर्देशक सिद्धान्त बनाए गए हैं और चिकित्सीय तैयारी करने हेतु विभाग इन निर्देशक सिद्धान्तों का प्रयोग करेगा। अस्पतालों में ढ़ांचागत व गैर–ढ़ांचागत घटकों की सुरक्षा योजना के साथ साथ निकासी योजना, वैकल्पिक अस्पतालों का प्रावधान तथा खुले स्थलों को चिन्हित करना ताकि भारी भीड़ में पीड़ितों का उपचार करने हेतु उन स्थलों को खुले अस्पताल के रूप में प्रयोग किया जा सके, आदि योजनाएं भी शामिल की जाएगी।

आपदाओं के दौरान आहतों का निजी अस्पतालों द्वारा उपचार किए जाने हेतु चिकित्सा प्राधिकरणों को उचित प्रणाली तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अस्पताल डी०एम०पी० में, आपदा उपरान्त, अस्पतालों के साथ नैटवर्किंग, परामर्शी संस्थाओं तथा रोगी वाहनों एवं रक्त बैंकों जैसी अन्य सेवाओं व सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि पर निगरानी रखने का भी प्रावधान होगा। चिकित्सा डी०एम०पी० में सचल शल्य दस्तों, सचल अस्पतालों तथा मरीजों की निकासी के लिए हैली रोगी वाहनों का भी प्रावधान होगा। रेलवे मुख्यालय की दुर्घटना राहत चिकित्सा वैनें, जो प्रत्येक 100 किलोमीटर के फासले पर स्टेशनों पर खड़ी रहती हैं, को रेलवे प्राधिकरण के परामर्श से राज्य एवं जिला प्राधिकरणों द्वारा आपात चिकित्सा प्रतिक्रिया के प्रयोजन से प्रयोग में लाई जाएगीं। स्तर -IV की अतिरिक्त जैव – प्रयोगशालाओं की स्थापना नोडल मंत्रालय की निगरानी में की जाएगी। मृत्यु सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं के सृजन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शवों तथा मृत जानवरों का तेजी से निपटान किए जाने पर बल दिया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त पूर्ति प्रबन्ध सुविधा के प्रयोजन से रक्त दानियों की सूचना वैबसाईट पर तैयार की जाएगी। इस प्रयोजन से रैड–क्रॉस तथा गैर सरकारी संगठनों साथ सघन तालमेल रखा जाएगा।

भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्थाः

6.9.1 भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी से आपदाओं के प्रभाव को अवशमित करने में मदद मिलती है। समय पर तथा सही चेतावनी मिलने से जान और माल की क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अचानकी बाढ़, जी०एल०ओ०एफ०, हिमस्खलन इत्यादि जलवायु–मौसमी आपदाओं बारे एक सीमा तक सही भविष्यवाणी की जा सकती है। नदी घाटी वर, अन्तिम स्थल तक पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित की जानी आवश्यक है राज्य में भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्था की स्थापना, स्तरोन्नति तथा आधुनिकीकरण हेतु सम्बन्धित एजैंसियों के साथ मामला उठाया जाएगा। आपेक्षिक प्राकृतिक आपदाओं के अनुश्रवण तथा निगरानी हेतु उत्तरदायी नोडल एजैंसियां प्रौद्योगिकीय कमियां चिन्हित करेगीं और समयबद्ध तरीके से उनको स्तरोन्नत करने हेतु परियोजनाएं तैयार करेंगी। भविष्यवाणियों, सूचना प्राप्त करने तथा समय पर उन्हें प्रसारित करने के लिए आई०सी०टी० उपकरणों को प्रयोग किए जाने की आवश्यकता होगी।

आपदा प्रबन्धन हेतु में दूरसंचार एवं (सूचना प्रौद्योगिकी) आई०टी० उपस्करः

6.10.1 कुशल एवं कारगर आपदा प्रबन्धन के लिए आधुनिक संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग सूचना के संकलन, प्रसार, तथा भविष्यवाणियों व पूर्व चेतावनी के प्रसार हेतु किया जाएगा। संसाधनों का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा और उसे सुगम्यता तथा पुनः प्राप्ति के प्रयोजन से वैब–आधारित पोर्टल पर डाला जाएगा। इन साधनों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता हैः

(क) सभी स्तरों पर नीति निर्माताओं, आपदा प्रबन्धकों तथा उत्तरदायी अधिकारियों के लिए निर्णय समर्थित व्यवस्था सृजित करना।
(ख) सभी पणधारियों, प्राधिकारयों, डी०एम०पी०, क्यु०आर०टी०, संकटस्थ समुदाय इत्यादि को सही पूर्व चेतावनी समय पर प्रसारित करना।
(ग) दूरदर्शन, रेडियो, एफ०एम० स्टेशन जैसे सूचना एवं प्रसारण माध्यमों को, उनकी भौगोलिक दृष्टिगत से पहुंच तथा उपलब्धता के दृष्टिगत प्रयोग किया जा सकता है।
(घ) आपदा के दौरान आपात संचार व्यवस्था तथा
(ड़) क्षति एवं जरूरतों सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण एवं मिलान

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति की दूरदर्शिता यह है कि "स्टेट–आफ–द आर्ट" आई०टी० संरचना का प्रयोग करते हुए संचार एवं अद्यतन सूचना को साझां करना आपदा प्रबन्धन नीति के कारण क्रियान्वयन का केन्द्र बिन्दु रहे। क्षेत्रीय अथवा प्रभावित क्षेत्र से प्राप्त विश्वसनीय, अद्यतन तथा शीघ्र सांझाकृत भू–आकाशीय सूचना आपदा प्रबन्धन नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की पूर्वापेक्षा है। डाटा सैटों को तुरन्त स्तरोन्नत तथा आधुनिक बनाने हेतु पी०आर०आई० तथा यू०एल०बी० से आई०टी० अपेक्षित प्रणाली वास्तुकला तथा कौशल युक्त आई०टी० संरचना स्थापित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय आपात संचार नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें उच्च सहक्रियात्मक विन्यास एवं यथेष्ट – प्रचुरता से समसामयिक स्थलीय एवं अन्तरिक्षीय प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा। इस नेटवर्क के माध्यम से प्रभावित समुदाय तथा स्थानीय प्राधिकारियों को चेतावनी तथा सूचना का यथासमय संप्रेषण सुनिश्चित होगा और प्रदेश के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।

आपात संचालन केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरणः

6.11.1 राष्ट्रीय आपात संचार योजना तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन सूचना एवं संचार व्यवस्था के अनुरूप राज्य, और जिला स्तर पर आपात संचालन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। चल आपात संचालन वाहनों का प्रबन्ध किया जाएगा। मुख्य नगरों में इ०ओ०सी० स्थापित किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। इ०ओ०सी० में अचूक संचार तंत्र होगा जिसमें आवाज–डाटा तथा वीडियो संचार हेतु जरूरत से ज्यादा बहुस्तरीय संचार व्यवस्था हो। प्रदेश में हैम रेडियो प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जा सके। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य संचालन के नियंत्रण तथा अंतिम छोर तक जुडने के दृष्टिगत सुवाह्य प्लेटफार्मों की उपलब्धता सृजित की जाएगी। सामुदायिक रेडियो का प्रयोग, एफ एम चैनलों, थोक एसएमएस प्रणाली और स्वर प्रेषित प्रणाली को अंतिम छोर तक जोड़ने हेतु लाया जाएगा।

प्रशिक्षण, अनुकरण तथा मॉक ड्रिलः

6.12.1 डी०एम०पी० की कार्य कुशलता प्रशिक्षण, संगोष्ठियों तथा मॉक ड्रिल के माध्यम से परखी जाती है तथा तद्नुसार उसमें सुधार किया जाता है। तैयार योजनाओं की कार्यक्षमता की जांच करने के प्रयोजन से एस०डी०एम०ए०, डी०डी०एम०ए० तथा स्थानीय प्रकरणों द्वारा भी एम एन०डी०एम०ए० के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में मॉक ड्रिलों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्राधिकरणों को तुरन्त प्रतिक्रिया तथा तत्परता की संस्कृति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। पूर्वाभ्यासों को जन–जागृति तथा सामुदायिक तैयारियों का माध्यम बनाने के लिए सभी प्रधारियों तथा बड़े पैमाने पा समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। धीरे–धीरे एस०डी०एम०ए० तथ डी०डी०एम०ए० के साथ इन अभ्यासों को नियमित अन्तरालों पर आयोजित किए जाने की क्षमता विकसित की जाएगी। पूर्वाभ्यासों के दौरान आदानों तथा ग्रहण शिक्षण का प्रयोग डी०एम०पी० की स्तरोन्नति तथा सुधार हेतु किया जाएगा।

अवशमन और तत्परता हेतु भागीदारियां

समुदाय आधारित आपदा तत्परताः

6.13.1 जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि समुदाय न केवल आपदा से प्रथम प्रभावित हैं, अपितु प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता भी होते हैं। सामुदायिक सहभागिता से स्थानीय स्वामित्व, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वेच्छावाद को प्रोत्साहन तथा क्षति को कम करने एवं रोकने की पारस्परिक मदद से सुनिश्चित होती है। आपदा प्रबन्धन के लिए सामुदायिक सहभागिता को "स्वयं सहायता," "पड़ोसियों द्वारा सहायता तथा समुदाय द्वारा सहायता" तथा समुदाय द्वारा सहायता" आदर्श–वाक्य के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न रूप से असमथ व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इसलिए सी०बी०डी०आर० द्वारा आपदा प्रबन्धन आयोजना, तत्परता तथा प्रतिक्रिया में इन मामलों का समेकन किया जाएगा। आपदाओं के प्रबन्धन हेतु कार्रवाई समूहों तथा निर्णय लेने वाली समितियों में महिलाआं तथा युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा एवं महिला संगठनों की नैटवर्किंग की जाएगी और प्रतिक्रिया के विभिन्न पहलुओं, जैसे प्रथम उपचार, खोज एवं बचाव, सामुदायिक आश्रयों का प्रबन्ध, मनो–सामाजिक विचार–विनिमय, सरकार / एजैंसियों से मिली मदद तथा राहत वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। समुदायिक योजनाओं को पंचायत, खण्ड तथा जिला योजनाओं में जोड़ा जाएगा।

पणधारियों की सहभागिता को गतिशील बनानाः

6.14.1 एस०डी०एम०ए०, आपदा प्रबन्धन के लिए नागरिक सुरक्षा, एन०सी०सी०, एन०वाई०के०एस०, एन०एस०एस०, खेल एवं युवा क्लबों, महिला आधारित संगठनों, धर्म आधारित संगठनों तथा स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) सी०एस०ओ० आदि के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। उन्हें आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं विशेषकर, एस०ए०आर० तथा एम०एफ०ए० में प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्हें अपने–अपने संस्थागत तंत्र के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने तथा जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। स्वेच्छापूर्ण भागीदारी को प्रेरित करने के प्रयासों को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी०एस०आर०) एवं सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी०पी०पी०):

6.15.1 इतिहास गवाह है, आपदा राहत तथा पुनर्वास गतिविधियों में निगमित क्षेत्र मदद करता रहा है। तथापि आपदा जोखिम घटाने की गतिविधियों में निगमित क्षेत्र के अस्तित्व की शमूलियत का कोई महत्व नहीं है। खतरा, जोखिम तथा संवेदनशीलता के क्षेत्र में निगमित अस्तित्व को अपनी निरन्तर कार्ययोजना को पुनः निर्धारित करना होगा। उन्हें समुदाय में समुत्थानक सामाजिक निवेशों के मूल्यों का सृजन भी करना होगा। सरकार तथा निजी क्षेत्र के मध्य पी०पी०पी० को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आपदा प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो सके। एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा निगमित क्षेत्र के साथ नेटवर्क किया जाना अपेक्षित है ताकि समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबन्धन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सुदृढ़ तथा औपचारिक रूप दिया जा सके। जल विद्युत परियोजनाओं, औद्योगिक तथा रायायनिक इकाईयों की स्थल पर एवं स्थल बाह्य आपात योजनाओं के लिए भी निगमित क्षेत्र सहयोजित किया जाना अपेक्षित होगा। जागरूकता उत्पन्न करने तथा स्थानीय क्षमता निर्माण में भी निगमित क्षेत्र को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

मीडिया की भागीदारी:

6.16.1 आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों पर सूचना एवं जानकारी के प्रसार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट दोनों मीडिया की बहुमुखी संभावना का पूरा लाभ उठाया जाना अपेक्षित है। समुदायिक जागरूकता, पूर्व चेतावनी तथा प्रसार, और विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी देने के क्षेत्र में मीडिया के साथ कारगार सहभागिता स्थापित की जाएगी। स्थानीय स्तर पर जागरूकता तथा तत्परता, सामुदायिक शिक्षण के लिए देशी–भाषिक मीडिया के प्रयोग का दोहन किया जाएगा। एस०डी०एम०ए० एवं डी०डी०एम०ए० के परामर्श से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा इस दिशा में उचित पग उठाए जाएंगे।

अध्याय–7

प्रौद्यो–विधिक व्यवस्था

प्रौद्यो–विधिक व्यवस्थाः

7.1.1 हिमाचल प्रदेश राज्य बी०आई०एस० के भूकम्प क्षेत्र मानचित्र में जोन IV व V के अन्तर्गत आता है। इन क्षेत्रों में सुरक्षित तथा भूकम्प रोधी निर्माण के लिए बी०आई०एस० द्वारा भवन संहिताएं विहित की गई है। अधिनियम के अधीन एस०ई०सी० को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निर्माण का परीक्षण करे और यदि वह यह महसूस करे कि आपदा रोकथाम बारे इस प्रकार के निर्माण हेतु तय मानक नहीं अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए गए हैं, तो, यथास्थिति जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण, को ऐसी कार्रवाई करने हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा जो ऐसे मानकों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो" इसी प्रकार के दायित्व अधिनियम के अधीन गठित जिला प्रबन्धन प्राधिकरणों (डी०डी०एम०ए०) तथा स्थानीय प्राधिकरणों को भी सौपे गए हैं। नगर एवं शहरी आयोजना अधिनियम इस अधिनियम के अधीन जारी विनियमों, नगर निगम एवं अन्य स्थानीय शहरी निकाय विनियमों एवं भवन उप–नियमों, जिनमें संशोधन का औचित्य बनता है, को चिन्हित कर उन्हें आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुरूप बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित निर्माण दिशा–निर्देश तैयार किए जाएंगे और उपयुक्त विनियम भी बनाएं जाएंगे। निर्माण में वृद्धि तथा बढते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत विकास नियंत्रण विनियमों, भवन उप–नियमों तथा ढ़ाचांगत सुरक्षा विशेषताओं जैसे नगर विनियमों के पुर्ननिरीक्षण की आवश्यकता है। भूकम्प, बाढ, भूस्खलन तथा अन्य आपदाओं से सुरक्षा में कमियों को चिन्हित करने के प्रयोजन से इन विनियमों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) के संशोधित विनिर्माण मानकों के साथ उन्हें जोड़ने हेतु समुचित उपान्तरण किए जाएंगें ।

भूमि प्रयोग आयोजनाः

7.2.1 भूमि प्रयोग आयोजना आपदा जोखिम से बचने या आपदा जोखिम अवशमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। मुख्य शहरी केन्द्रों तथा सघन बस्ती क्षेत्रों के लिए आवासीय एवं अन्य सुविधाओं हेतु

सुरक्षित क्षेत्र का होना आवयश्यक होता है। राज्य में भूमि प्रयोग आयोजना एवं विनियमों को खतरे, संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया जाएगा। विद्यमान विकास मास्टर–प्लान एवं मण्डलीय विनियमों को एच०आर०वी०ए० विश्लेषण के दृष्टिगत पुर्निरिक्षित किए जाने तथा जहां आवश्यक हो, संशोधित किए जाने की जरूरत होगी। भूमि प्रयोग आयोजना को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों का प्रयोग तथा विभिन्न उपयोगों का डाटाबेस तैयार करते हुए किया जाना अपेक्षित होगा। भविष्य के लिए भूमि प्रयोग आयोजना प्रत्याशित विकास तीव्रता को मद्देनजर रखते हुए की जानी होगी।

आपद रोधी एवं सुरक्षित निर्माण पद्धतिः

7.3.1 भूकम्प जैसी आपदाएं लोगों को नहीं मारती अपितु अपर्याप्त रूप से डिजाईन एवं घटिया प्रकार से निर्मित भवनों को क्षतिग्रस्त करती है। भूकम्प अवशमन की दिशा में, जैसा कि भूकम्प मार्गदर्शिका में उल्लेख किया गया है, नए भवनों का सुरक्षित निर्माण तथा चयनित पुराने भवनों का पूर्वपद्धति अनुसार ठीक किया जाना एक समालोचनीय पग होगा। इन्दिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०), आर०ए०वाई० तथा अन्य सरकारी कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं के अधीन निर्मित किए जा रहे भवनों क डिजाईन तथा विवरण को भी आपद सुरक्षा सुनिश्चयन के दृष्टिगत पुनःपरीक्षित किया जाएगा। भवन संहिताओं को प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पर अनिवार्य रूप से आधुनिक किया जाना अपेक्षित होगा तथा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में डाला जाएगा। राष्ट्रीय भवन संहिता के विधानों को सभी राज्य/ नगर भवन उप–नियमों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा।

7.3.2 इंजीनियरों, वास्तुकारों, छोटे निर्माणकर्ताओं, निर्माण प्रबन्धकों तथा शिल्पियों – लोहारों, तहखानों, तर बांधने वालों – को पहले से दिए जा रहे प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को जिला एवं स्थानीय स्तरों पर और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। सुरक्षित विद्यालयों एवं अस्पतालों (बड़ी क्षमता वालें) तथा राष्ट्रीय स्मारकों को अन्य सुरक्षा समालोचनीय भवनों को राज्य प्राथमिकता का दर्जा दिया जाएगा। स्कूल/ छात्रावास भवनों सम्बन्धी सभी स्कीमों में भूकम्परोधी प्रावधान किए जाएगें और उन्हें समुचित अग्नि सुरक्षा उपायों से लैस किया जाएगा।

अनुपालन एवं प्रर्वतन तंत्रः

7.4.1 कारगर प्रौद्यो–विधिक, भूमि प्रयोग विनियमों तथा प्रौद्यो–वित्तीय प्रावधानों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था तैयार कर उसे बाध्यकर बनाए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर कारगर अनुश्रवण, सत्यापन एवं अनुपालन प्रबन्ध किए जाएं। आपदाओं के दौरान सुरक्षा की कीमत पर व्यवहार से बचने हेतु उचित अनुपालन तंत्र विकसित किया जाना अपेक्षित है। पणधारियों– सरकारी कर्मियों, प्रर्वतन एजैंसियों तथा अधिकांशतः समुदाय को जागरूक एवं सुग्राह्य्त बनाया जाएगा ताकि भवन संहिताओं, विनियमों तथा सुरक्षा मानदण्डों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सुग्राह्यता तथा अनुपालना के क्षेत्र में एन०जी०ओ०, सी०बी०ओ० तथा जन–प्रतिनिधित्व एक अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। प्रवर्तन एजैंसियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को एक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्व–प्रमाणन, सामाजिक अंकेक्षण, वृत्तिक एजैंसियों द्वारा अंकेक्षण सहित एक बाह्य अनुपालन व्यवस्था आदि को, सूचना प्रौद्योगिकी–समर्थ अनुश्रवण सॉफटवेयर जो भारत में आपदा प्रबन्धन प्रणाली के उपयुक्त हो जैसे उपस्करों को डिजाईन एवं तैयार कर सर्वोतम प्रबन्धन पद्धति अपनाये जाने को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और इसको विधिवत परीक्षण के उपरान्त अपनाए जाने हेतु विभिन्न पणधारियों तथा शिक्षण संस्थाओं से परामर्श किया जाएगा।

अध्याय–8

प्रतिक्रिया

दृष्टिकोणः

8.1.1 आपदा प्रतिक्रिया एक बहु–अभिकरणीय कार्य है। सु–समन्वित, तुरन्त एवं कारगर प्रतिक्रिया द्वारा जान एवं माल की क्षति में कमी की जाती है। इसके विपरीत प्रतिक्रिया में विलम्ब आपदा के दुष्प्रभावों को कई गुणा वृद्धि करता है। तुरन्त एवं कारगर प्रतिक्रिया तभी संभव है यदि इसकी तैयारी अग्रिम रूप से की गई हो। आयोजना का परीक्षण मॉक ड्रिलो के माध्यम से किया जाना आवश्यक होता है ताकि इसे सुधरा एवं बेहतर बनाया जा सके। भूमिकाओं एवं दायित्वों को अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाना होगा तथा समादेशाधिकार को निर्धारित कर भलि–भांति समझना होगा। किसी भी आपदा से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र द्वारा एक समेकित, सहयोजित एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाएगा। समसामयिक भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्था, अचूक संचार व्यवस्था, विशेष प्रतिक्रिया बलों की प्रत्याशित रूप से तैनाती, कुछ राहत सामग्री के भण्डारण, राहत शिविरों को चिन्हित कर तथा अस्थाइ आश्रयों के माध्यम से ऐसा किया जाना सम्भव है। सम्यक् सूचित एवं भलि–भांति तत्पर समुदाय द्वारा आपदा के प्रभाव को अवशमित किया जा सकता है।

राज्य, जिला तथा स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिकाः

8.2.1 डी०डी०एम०ए० तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो रही परिस्थितियों एवं उन पर प्रतिक्रिया का अनुश्रवण एवं आंकलन किया जायेगा तथा एस०डी०एम०ए० एवं एस०ई०सी० को भी उससे अवगत करवाया जायेगा। ऐसी परिस्थितियों से निपटने हेतु वे अपनी दक्षताओं का भी लगातार मूल्यांकित करते रहेगें और समय रहते राज्य/केन्द्रीय संसाधनों के लिए प्रत्याशित मांग प्रक्षेपित करेंगें। अर्न्तजिला सहायता एवं सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरे राज्यों के साथ भी राज्य स्तर पर इस प्रकार के गठबंधन स्थापित किए जाएंगे। जिलों का अपनी प्रतिक्रिया संभाव्यता को तेजी से विकसित करने तथा इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु सहयोग दिया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण एवं प्रतिक्रिया बलों को लैस करना, सामुदायिक तत्परता, जिला स्तर पर प्रशिक्षण तथा प्रतिक्रिया हेतु गुप्त भण्डारों का सृजन करना शामिल होगा। जिला स्तर की

तैयारियां सभी प्रतिक्रिया गतिविधियों हेतु कारगर सिद्ध होगी, स्थानीय प्राधिकरणों, पी०आर०आई० एवं यू०एल०बी० पूरी प्रक्रिया विशेषकर प्रतिक्रिया एवं बचाव कार्य, राहत एवं पुनर्वास, जागरूकता उत्पन्न करने एवं आपदा हेतु तत्परता, जीवनयापन विकल्पों की बहाली तथा एन०जी०ओ० एवं सिविल सोसाईटी के साथ समन्वय, में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

राज्य एवं केंन्द्र सरकार नोडल विभाग और के अन्य विभागों की भूमिकाः

8.3.1 विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए नोडल विभागों को अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित नोडल विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिक्रिया योजना तैयार की जाएगी जिसे जिला तथा राज्य प्रतिक्रिया योजना में समेकित किया जाएगा। सभी स्तरों पर आपातकालीन सहायता कार्य (ई०एस०एफ०) भी अधिसूचित किए जाएंगें। सम्बन्धित विभागों द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर ई०एस०एफ० कार्य निष्पादन हेतु अधिकारी तैनात किए जाएंगे। अन्य विभाग (ई०एस०एफ० विभागों के अलावा) घटना समादेशक या जिम्मेदार अधिकारी द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे गए, कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी संकटकालीन परिस्थिति या आपदा पर जिम्मेदार अधिकारी घटना प्रतिक्रिया व्यवस्था के माध्यम से प्रतिक्रिया को समन्वित करेंगे।

मानक संचालन पद्धतिः

8.4.1 राज्य सरकार के सभी विभाग, जिला प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य पणधारी, राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय योजनाओं, जो भी उनसे सम्बन्धित हो, के अनुसार एस०ओ०पी० तैयार करेंगे। खोज एवं बचाव, चिकित्सीय सहायता एवं हताहत प्रबन्धन एवं निकासी, आपदा स्थल पर अनिवार्य सेवाओं तथा संचार व्यवस्था की बहाली इत्यादि गतिविधियों के लिए एस०ओ०पी० विहित होंगे। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भोजन प्रावधान, पेयजल, स्वच्छता, कपड़े तथा राहत शिविरों का प्रबन्धन शामिल है। अन्य स्त्रोतों से प्राप्त संसाधनों की प्राप्ति प्रेषण व तैनाती सम्बन्धी विस्तृत एस०ओ०पी० भी सभी सम्बन्धितों द्वारा तैयार किए जायेगें।

आपदाओं के स्तरः

8.5.1 आपदाओं के स्तरों के निर्धारण तथा आपदा बारे विभिन्न एजैंसियों की इलैक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली को सतर्क रहने के संदेश देने हेतु एम०एच०ए० द्वारा एस०ओ०पी० तैयार किए गए हैं। इन एस०ओ०पी० को प्राकृतिक एवं मानव–निर्मित आपदाओं की स्थिति में आपदा प्रतिक्रिया प्रबन्धन के दृष्टिगत समय–समय पर पुर्निरीक्षित किया जाएगा। राज्य विशेष एस०ओ०पी० भी जारी किए जाएंगे।

घटना प्रतिक्रिया प्रणालीः

8.6.1 सुधरी हुई आपदा पूर्व तत्परता की ओर प्रतिमानों के बदलाव के मद्देनजर उचित एवं भली प्रकार से तैयार प्रतिक्रिया व्यवस्था अत्यावश्यक है जिसके अन्तर्गत प्रतिक्रिया उन के प्रत्येक सदस्य की भूमिका भली–भांति पूर्व–नियत, क्रमिक एवं मुकम्मल योजना प्रक्रिया, आई०आर०टी० सदस्यों के लिए उत्तरदायित्व व्यवस्था, स्पष्ट समादेशाधिकार प्रक्रिया, कारगर संसाधन प्रबन्धन, उचित एवं समन्वित संचार व्यवस्था, स्वतंत्र एजैंसियों को, उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित न करते हुए, योजना एवं समादेशाधिकार ढ़ाँचे के अधीन तरीके से समेकित करने की प्रक्रिया तथा सामुदायिक संसाधनों का प्रतिक्रिया प्रयासों में एकीकरण आदि शामिल होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई०आर०एस०) को अपनाया गया है और एन०डी०एम०ए० द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

8.6.2 प्रतिक्रिया में तदर्थ उपायों की व्याप्ति को कम किए जाने की दिशा में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली एक कारगर तंत्र है। इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं, जो आपदा प्रबन्धन के दौरान उनकी जटिलता के स्तर पर ध्यान दिए बिना निष्पादित किए जाते हैं इसमें विभिन्न अनुभागां वाला एक ऐसा मिला–जुला दल होता है जो प्रतिक्रिया की सभी संभव आवश्यकताओं को पूरा करता है। आई०आर०एस० द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन हेतु अधिकारियों को चयनित तथा पद नामित किया जाता है तथा उनकी भूमिकाओं के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यदि आई0 आर0 एस0 का गठन किया जाता है और पणधारियों को प्रशिक्षित एवं उनकी भूमिकाओं बारे जागरूक किया जाता है तो इससे प्रतिक्रिया चरण के दौरान अव्यवस्था तथा उलझन को कम किए जाने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रत्येक को इसका बोध रहेगा कि क्या किया जाना है, आदि आदि। आई०आर०एस० एक लचीली व्यवस्था है

और सभी अनुभागों, शाखाओं और इकाईयों को एक साथ सक्रिय किए जाने की आवयश्यकता नहीं होती विभिन्न अनुभागों, शाखाओं तथा इकाईयों को तभी सक्रिय किया जाना होता है जब उनकी आवयश्यकता हो।

8.6.3 आई०आर०एस० संगठन क्षेत्र में घटना प्रतिक्रिया दलों (आई०आर०टी०) के माध्यम से क्रियाशील रहेगा। हमारे प्रशासनिक ढांचे तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिम्मेदार अधिकारयिों (आर०ओ०) को राज्य तथा जिला स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रबन्धन का समग्र प्रभारी पदनामित किया गया हे। तथापि आर0 ओ0 घटना समोदेशक (आई०सी०) को दायित्व सौंप सकता है, जो आई०आर०टी० के माध्यम से घटना को नियत्रिंत करेगा। राज्य, जिला उप मंडल तथा तहसील/ खण्ड सभी स्तरों पर आई०आर०टी० पूर्व – पदनामित होगी। पूर्व– चेतावनी के यदि आपदा घटित होती है तो उस स्थिति में स्थानीय आई०आर०टी० प्रतिक्रिया करेगी और यदि आवश्यकता हो, तो मदद के लिए आर०ओ० से सम्पर्क स्थापित करेगी। एक नोडल अधिकारी (एन०ओ०) पदनामित किया जाना होगा जो प्रतिक्रिया हेतु हवाई मदद प्रदान करने के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करेगा।

8.6.4 सभी सरकारी पदाधिकारियों तथा पणधारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर राज्य में उचित आई आर एस प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि अव्यवस्था रहित कारगर प्रतिक्रिया समन्वित की जा सके।

मुख्य प्रतिक्रियाकर्ता:

8.7.1 स्थानीय प्राधिकरणों, पी०आर०आई० तथा यू०एल०बी० की अगुवाई में ग्रामीण युवा एवं महिला संगठन, सी०एस०ओ०, एन०जी०ओ० इत्यादि की भूमिका एवं महत्व आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली के मूल–आधार के रूप में जाना जाता है। उनकी तुरन्त मदद के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता हैं– पुलिस तथा अग्निशमन एवं चिकित्सीय आपतकालीन सेवांए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाकर्ता नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षक एवं युवा संगठन जैसे– एन०सी०सी०, एन०एस०एस० एवं एन०वाई०के०एस० आदि होंगे। यथावश्यक आधार पर एस०डी०आर०एफ०, एन०डी०आर०एफ० एवं सशस्त्र बलों की तैनाती की व्यवस्था भी की जाएगी। तथापि, सशस्त्र बलों की तैनाती उसी अवस्था में की जाएगी जब स्थिति पर काबू पाना राज्य सरकार, एस०डी०आर०एफ० तथा एन०डी०आर०एफ० की क्षमता से बाहर हो।

चिकित्सा प्रतिक्रियाः

8.8.1 चिकित्सा प्रतिक्रिया तुरन्त एवं कारगर होनी चाहिए। अधिकतर परिस्थितियों में, जिला स्तर, उप–मण्डल तथा स्थानीय स्तर पर चिकित्सा प्रतिक्रिया योजना के कार्यान्वयन तथा चिकित्सा संसाधनों की तैनाती पर विशेष घ्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सीमाओं पर ध्यान न देते हुए, निकटतम चिकित्सा संसाधनों की आपदा स्थल पर स्वैच्छिक तैनाती पर बल दिया जाएगा। सचल अस्पतालों तथ केन्द्र पर उपलब्ध अन्य संसाधना को भी क्रियाशील अवस्था में राज्यों / केन्द्रशासित क्षेत्र को प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–विज्ञान सेवाओं का आपदा–उपरान्त प्रबन्धन महामारी फैलने से रोकने के दृष्टिगत एक कठिन कार्य है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी संभावना पर निरन्तर नजर रखी जानी आवश्यक होगी। 108 आपातकालीन सेवाएं तथा रैड–क्रॅस चिकित्सीय आपातकालीन प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के उपहार स्वरूप एवं प्रतिपूरक होंगे।

प्रजनन एवं आपात प्रसूती सेवाएंः

8.9.1 भूकम्प इत्यादि के कारण प्रजनन स्वास्थ्य उपचार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। संकटाधीन समुदाय प्रजनन स्वास्थ्य (आर एच) सम्बन्धी सूचना एवं सेवाओं से अचानक महरूम हो जाते हैं। सम्पर्क टूट जाता है फिर भी प्रयासों को जारी अपितु बढ़ाए जाने की जरूर होती है। पीड़ितों के पास जीवनरक्षक आर०एच० उपचार प्राप्त करने के बड़े सीमित साधन रह जाने से वे उपचार योग्य आर०एच० समस्या के कारण गम्भीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं या अपनी जान गवां बैठते है। आपातकालीन विन्यास के दौरान गर्भवती महिलाओं व किशोरों की आपात प्रसूति एवं प्रजनन स्वास्थ्य–सम्बन्धी सेवाओं पर साधारणतः ध्यान नहीं दिया जाता है। इन मामलों पर ध्यान देने के उद्देश्य से आपात प्रतिक्रिया आरम्भ होते ही स्वास्थ्य प्राधिकरियों द्वारा निम्न लिखित कार्य किया जायेगाः–

(i) प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार के अभिन्न हिस्से के रूप मे व्यापक आर०एच० सेवाओं के प्रावधान की योजना;
(ii) सर्वव्यापक पूर्वाभ्यास के माध्यम से एच०आई०वी० संक्रमण को कम करना, निःशुल्क निरोधक(कण्डोम) उपलब्धता तथा सुरक्षित रूधिर–आधान सुनिश्चित करना ;
(iii) उत्तरजीवियों को चिकित्सीय उपचार तथा स्थिति अनुसार

उनका मनोबल बढ़ाना ;

(iv) बलात्कार पीड़ित उत्तरजीवियों में एच०आई०वी० संक्रमण कम करने हेतु घटना – उपरान्त रोगनिरोधन प्रदान करना;

(v) लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को उचित उपचार प्रदान करना ;

(vi) (क) प्रासूति सम्बन्धी समस्चाओं वाली महिलाओं के लिए 24 घण्टे परामर्शीय व्यवस्था स्थापित करना; (ख) माताओं तथा दाईयों द्वारा घर में प्रयोग किए जाने हेतु स्वच्छ प्रसव किटें बांटना; (ग) स्वच्छता पूर्वक, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से दाईयों को प्रसव किटें प्रदान करवाने आदि के माध्यम से माताओं तथा नवजात शिशुओं को मृत्यु, बीमारी तथा चोट आदि से बचाना;

(vii) आपातकालीन परिस्थितियों में परिवार नियोजन को प्राथमिकता देने तथा आपात गर्भाधान सहित सदैव समस्त गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से उनकी निर्बाध आपूर्ति करना;

(viii) गर्भपात–उपरान्त उपचार (पी०ए०सी०) तथा अपूर्ण गर्भपात एवं ऐसी संभावित समस्याओं, जिनसे जान को खतरा हो, का आपात प्रबन्धन तथा परिवार नियोजन जैसे अन्य आर०एच० उपचारों व पी०ए०सी० के मध्य सम्पर्क बनाना; और

(ix) प्रसव सेवा कार्यक्रम बनाने में बीमारी ग्रस्त समुदाय को शामिल करना।

पशु उपचारः

8.10.1 पालतू तथा जंगली दोनों प्रकार के पशु प्राकृतिक एवं मानव–निर्मित आपदाओं से प्रभावित होते हैं। यह आवश्यक है कि आपदा के दौरान तथा उसके पश्चात् पशुओं को बचाने तथा उनके भोजन एवं आश्रय के लिए, जहां तक संभव हो सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से उचित कदम उठाए जाएं। राज्य के पशुपालन विभाग, डेरी– उद्योग, मत्स्य पालन, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग तथा पी०आर०आई० एवं सम्बन्धित यू०एल०बी० को चाहिए कि सभी स्तरों पर जख्मी पशुओं के बचाव, उनके लिए आश्रय, उनके खान–पान के प्रावधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सूचना एवं मीडिया प्रतिभागिताः

8.11.1 आपदा के समय तथा आपद परिस्थितियों के दौरान अव्यवस्थता एवं संत्रात से बचने के प्रयोजन से इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया के

माध्यम से सही सूचना का संप्रेषण बहुत महत्व रखता है। प्रशिक्षित आपदा प्रबन्धन पदस्थों द्वारा नियमित पत्रकार वार्ताएं आयोजित किया जाना अनिवार्य है। सभी स्तरों पर सूचना प्रबन्धन तथा सही रिपोर्ट दिए जाने सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें संवेदनशीलता तथा गोपनीयता एवं प्रथाओं का ध्यान रखा जाएगा।

जी०ओ० – एन०जी०ओ० तथा आई०ए०जी० समन्वयः

8.12.1 संगठनों की भौगोलिक तथा विषय परक दक्षताओं के दृष्टिगत, आपदा प्रबन्धन तथा आपात प्रतिक्रिया में कार्यरत एन०जी०ओ० का सभी स्तरों पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन तथा आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में चिन्हित एन०जी०ओ० में दक्षता का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित के प्रयोजन से राज्य में अन्तर–एजेंसी समूह तैयार किए जायेंगेः

(i) मानवीय संकट के समय समेकित प्रतिक्रिया नीति का विकास तथ उसे संस्थाकृत करना;
(ii) एकीकृत विकास योजना की भांति आपातकालीन तत्परता को मुख्यधारा में शामिल करना;
(iii) आपात कालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करना;
(iv) सामान्य तथा आपातकालीन परिस्थितियों में मिल–जुल कर कार्य करने की संस्कृति विकसित करना ; और
(v) ऐसी गतिविधियां चलाना जो आपदाओं से निपटने हेतु स्थानोय समुदायों तथा पणधारियों में क्षमता निर्माण करेगी।

8.12.2 आपदा प्रबन्धन में एन०जी०ओ० की भूमिका हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 तथा एन०डी०एम०ए० द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश राज्य में जी०ओ०– एन०जी०ओ० तथा आई०ए०जी० में समन्वय हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे।

अध्याय–9

राहत, पुनरूत्थान, पुननिर्माण, तथा पुनर्वास

दृष्टिकोणः

9.1.1 राहत, पुनरूत्थान, पुर्ननिर्माण तथा पुनर्वास आपदा–उपरान्त प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। राहत को मात्र निःशुल्क सहायता या समय पर आपात राहत आपूर्ति के अर्थ में नहीं लिया जाना होगा। परन्तु इसके ठीक विपरीत इसे आपदा पीड़ितों को राज्य में पुनर्वासित करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु सहायता सुविधाओं की महराबी व्यवस्था के रूप में लिया जाना होगा। राहत को तुरन्त, पर्याप्त एवं अनुमोदित मानकों के अनुरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। राहत के न्यूनतम मानक निर्धारण किए जाने हेतु हि०प्र० एस०डी०एम०ए० द्वारा एन०डी०एम०ए० के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए जायेंगे।

9.1.2 मानव जीवन के खतरे पर विराम लगते ही तुरन्त समुत्थान चरण आरम्भ हो जाता है। पुर्ननिर्माण के दौरान यह संस्तुत किया जाता है कि सम्पति की स्थिति अथवा निर्माण सामग्री पर ध्यान दिया जाये। पुनर्निर्माण प्रक्रिया का दृष्टिकोण व्यापाक होना चाहिए ताकि विपत्ति को एक सुअवसर में परिवर्तित किया जा सके। "बेहतर पुनः निर्माण" को मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाया जा सके, इसलिए इसमें आपदा रोधी विशेषताएं समाविष्ट की जायें। इस चरण पर सभी सम्बन्धितों द्वारा धैर्यपूर्वक कठिन परिश्रम किया जाना अपेक्षित होगा। प्रशासन, पणधारियों तथा समुदायों द्वारा इस चरण की आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जान की जरूरत होगी, क्योंकि समय के साथ आवश्यकताओं की संवेदनता फीकी पड़ जाती हैं। परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन तथा उचित प्रौद्योगिकी का चयन किया जाना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चलाई गई परियोजनाओं से, प्रभावित क्षेत्रों अथवा उनके पड़ोस में, समुदायों के शारीरिक, सामाजिक–सांस्कृतिक या आर्थिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निर्णय लिए जाने में समुदाय की सहभागिता आवश्यक होती है, समुत्थान तथा पुनः निर्माण के चरण स्तर मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा सदमे से उबारने हेतु विचार–विनियम के क्रियान्वयन की पद्धति विकसित की जानी अपेक्षित है। यह भी आवश्यक है कि समुत्थान प्रक्रिया को जीवन–यापन के साथ जोड़ा जाए।

राहतः

9.2.1 राहत संहिता को अनुसार आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान की जानी अनिर्वाय होगी। विस्थापित लोगों को अस्थाई आश्रयों में बसाया जाना अपेक्षित होगा। डी०डी०एम०ए० द्वारा अग्रिम रूप में अस्थाई शिविर स्थापित किए जाने हेतु स्थलों को चिन्हित किया जाना होगा और उनकी एक सूची तैयार करनी होगी। राहत शिविर स्थापित किए जाने की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षण संस्थाओं के परिसरों के प्रयोग से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे शीघ्र समुत्थान प्रभावित होता है। राहत शिविरों में पेयजल, स्नान, स्वच्छता तथा अनिवार्य स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान होगा। पी०आर०आई०, यू०एल०बी०, सी०एस०ओ० तथा सी०बी०ओ० को राहत शिविर चलाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। आपदा प्रभावित लोगों को भी सामुदायिक रसोईघरों के संचालन में लगाया जा सकता है। राहत शिविरों को सुशासित किए जाने हेतु, पहचान पत्र, नियंत्रित वितरण, पात्रता, चन्दे, प्रापण, पैकेजिंग, परिवहन व भण्डार प्रबन्धन इत्यादि के सम्बन्ध में पहले ही दिशा– निर्देश/एस०ओ०पी० जारी किए जायेंगें। उपयुक्त स्थलों वा आवश्यक राहत सामग्री का भण्डार किया जाना भी महत्वपूर्ण होता है। आपदा–पूर्व चरण के दौरान राहत सामग्री की पूर्ति हेतु एजैंसियों के साथ पूर्व– संविदाकरण आवश्यक है।

9.2.2 विध्वंसकारी आपदा की स्थिति में अत्यन्त खराब मौसम की परिस्थितियां जान के लिए खतरनाक हो सकती हों, या अस्थाई आश्रय स्थलों पर लम्बी अवधि के लिए अथवा ठहरना अनिश्चित हो, उस स्थिति में स्थानीय वातावरण, पारिस्थितिकी तथा संस्कृति, उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट उपयुक्त स्थल पर तात्कालिक आश्रयों का निर्माण किया जाएगा ताकि प्रभावित लोगों उचित गुणवतापूर्ण जीवन सुनिश्चित की जा सके। एस०डी०एम०ए० के परामर्श से डी०डी०एम०ए० ऐसे आश्रयों की योजना तैयार करेगी जो कम लागत एवं स्थानीय जरूरतों के अनुसार बहुप्रयोजनीय हों। उनकी उपलब्धता, आपूर्ति तथा स्थानीय परिस्थितियों में जांच किए जाने हेतु उन्हें पहले से ही चिन्हित किया जाएगा।

9.2.3 आपदा प्रभावित लोगों की समसामयिक जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन से विद्यमान राहत मानकों के पुनरीक्षण किए जाने आवश्यक होगें। राहत प्रावधान हेतु मानकों तथा मानदण्डों के निर्धारण हेतु एन०डी०एम०ए० के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राहत संहिताओं, नियमावलियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। संक्षेप में, राहत के न्यूनतम

मानक तथा आपूर्ति का गतिशील प्रबन्धन राहत संचालन की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए।

राहत आपूर्ति के दौरान गर्भवती या धात्री माताओं, शिशुओं, नव–जातों, किशोरों तथा वृद्धों जैसे विशेष वर्गों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वामी चालित निर्माणः

9.3.1 घरों के डिजाईन तथा पुननिर्माण योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया में प्रभावित समुदाय, एन०जी०ओ०, निगमित क्षेत्र तथा सरकार की सहभागिता होना आवश्यक है। पात्रता, जी०आई०ए० तथा भू–स्वामित्व, पुनः स्थल निर्धारण, भू–विनिमय सम्बन्धी मानदण्ड़ों की स्पष्ट नीति के विद्यमान होने से गतिशील पुनः निर्माण को सुविधा मिलेगी। आयोजना प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यदि स्वामी चालित निर्माण के विकल्प को चुना गया है, बेहतर एवं सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजन से एन०जी०ओ०, निगमित क्षेत्र तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनः निर्माण कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित गुणात्मक विशिष्टताओं तथा सीमा के भीतर ही प्रवृत्त होगा। सुरक्षित एवं गुणात्मक मानकों की स्वीकार्यता के दृष्टिगत, यह उचित होगा कि सामान्य परिस्थितियों के दौरान सुरक्षित निर्माण मानकों, डिजाईनों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दे दिया जाए ताकि समुदाय, को उनके बारे पूरी जानकारी हो। स्वीकृति अर्जित करने के उद्देश्य से इस प्रयोजन में सी0 बी0 ओ0, सी०एस०ओ० तथा धार्मिक संगठनों की सेवाएं ली जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि पुनः निर्माण निकटस्थ रूप से समुत्थान प्रक्रिया से जुड़ा हो।

सामाजिक अधोसंरचना का पुनः निर्माणः

9.4.1 अनिवार्य सेवाओं, सामाजिक अधोसंरचना तथा मध्यवर्ती आश्रयों/शिविरों को यथासंभव कम से कम समय में स्थापित किया जाएगा। स्थाई पुनः निर्माण, आर्दशतः घरों के निर्माण कार्य सहित दो से तीन वर्षों के भीतर अवश्य पूरा हो जाना चाहिए। पुनः निर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा समप्रित परियोजना दस्ते कठित किए जाने चाहिए। स्थानीय स्तर पर पुनः निर्माण हेतु पी०आर०आई० तथा यू०एल०बी० की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएग।

सामाजिक– आर्थिक पुनर्वासः

9.5.1 आपदाओं से जीवनयापन तथा विकास के स्त्रोत नष्ट हो जाते हैं। आपदा उपरान्त स्थिति में प्रभावित समुदाय के लिए जीवन यापन के अस्थाई विकल्प सृजित किए जाने अति आवश्यक होते हैं। जरूरतमन्दों के लिए जीवनयापन विकल्पों के सृजन हेतु राहत एवं पुनः निर्माण कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रियाशील अथावा नए कार्यक्रम इस प्रकार के बनाए होने चाहिए जो प्रभावित समुदाय को अपनी जीवनयापन अर्जित करने में सहयोग दे। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आस्तियां, अधोसंरचना, समुदाय के लिए सुख–सुविधाओं का सृजन हो, इसके साथ–साथ यह भी इतना ही जरूरी है कि ऐसी परिसंपत्तियां आपद रोधी, मजबूत एवं दीर्घजीवी हां। आपदाएं विद्यमान ग्रामों या आवासीय स्थलों को भी नष्ट कर देती हैं, और इन स्थलों पर पुनः बस्ती बसाने सम्बन्धी नीतियों को आपदा प्रबन्धन संहिता में शामिल किया जाना आवश्यक है।

सुरक्षित विकास/ पुनः निर्माण– पुनः बेहतर निर्माण के साथ समुत्थान को जोड़नाः

9.6.1 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदा–उपरान्त विकास/ पुनः निर्माण विद्यमान संवेदनशीलता के पुननिर्माण पर ही समाप्त न हो जाए। पुनः निर्माण चरण में भवन संहिताओं, सुंरक्षित निर्माण पद्धतियों तथा क्षेत्रीय विनियमों का भी उपयोग किया जाएगा। उच्च आपदा परक क्षेत्रों में पुनः निर्माण के लिए सामान्य परिस्थितिक अवधि क दौरान कंटिन्जैंसी योजनाएं तैयार की जानी अपेक्षित हैं जिनमें विभिन्न पणधारियों के सलाह मशवरे से वास्तुकारीय, एवं ढ़ाचागत डिजाईन भी शामिल होंगे। सामाजिक एवं आर्थिक ढ़ाचे की कमियों तथा अग्र एवं पश्च संयोजन की कमजोरियों को दूर किए जाने पर बल दिया जाएगा। जीवनयापन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं, वृद्धों, महिलाओं तथा बच्चों की देख–रेख, इत्यादि को सुचारू बनाने तथा किए जाने के प्रयास किए जायेगें। अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता ह– सड़कें, आवास, पेयजल स्त्रोत, स्वच्छता सुविधाओं हेतु प्रावधान, ऋणों की उपलब्धता, कृषि उपस्करों की पूर्ति, खेती एवं खेती इतर गतिविधियों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का उन्नयन, भण्डारण, संसाधन तथा बाजार इत्यादि होंगे।

अध्याय–10

प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

दृष्टिकोण:

10.1.1 सभी पणधारियों तथा संस्थाओं में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कारगर क्षमता निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न करना, शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान प्रबन्धन, अनुसंधान तथा विकास (आर० एण्ड डी०) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इससे आपदा निरोध एवं आपदा से निपटने हेतु उचित संस्थागत ढ़ाँचा, प्रबन्धन व्यवस्था तथा संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया की पूर्ति की जाती है।

प्रशिक्षण:

10.2.1 राज्य सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों के भिन्न–भिन्न स्तरों तथा जिला में स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संयोजन करेगी और स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदानिरोध या अवशमन हेतु सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेगी।

10.2.2 अधिनियम की अपेक्षाओं तथा आपदाओं से कारगर ढ़ंग से निपटने एवं सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के मद्देनजर – सरकारी तंत्र तथा अन्य पणधारियों को विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित विभागों तथा अन्य पणधारियों की जरूरतों एवं अपेक्षाओं क अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किए जाने आवश्यक हैं। उनकी भूमिकाओं पर ध्यान न देते हुए, सभी विभागों को निम्नलिखित आपदा जोखिम आवयश्कता होगी। कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की भूमिकाओं के आधार पर उनके प्रशिक्षण मानदण्ड तैयार किए जाएंगे। अन्य बातों के साथ जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वे क्षेत्र निम्नलिखित है:

(i) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के बारे जानकारी।
(ii) आपदा प्रबन्धन एवं इसके विभिन्न पहलुओं बारे अभिविन्यास एवं जानकारी।
(iii) डी०एम०पी० तैयार करना।

(iv) प्रातिक्रिया योजनाओं को तैयार करना।
(v) विभागों को सौंपा गए ई०एस०एफ० कार्य निष्पादन हेतु प्रशिक्षण
(vi) विकासों योजनाओं तथा नीतियों में डी०आर०आर० के समेकन बारे प्रशिक्षण
(vii) अवशमन उपायों एवं योजनाओं बारे प्रशिक्षण
(viii) सामुदायिक जागरूकता एवं आई०ई०सी०
(ix) क्षति एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन
(x) मॉक ड्रिलों का आयोजन
(xi) हिपा, पी०टी०सी० डरोह, चिकित्सा महाविद्यालयों, डाईट, बी०एड० संस्थाओं, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, पटवार स्कूलों आदि प्रशिक्षण संस्थानों एवं अकादमियों में सरकारी सेवाओं में नए प्रवेश हुए पदस्थों को प्रशिक्षण देना।

10.2.3 उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार प्रशिक्षण के कुछेक विषय निम्नलिखित होंगे:

(क) आपातकाल परिस्थितियों में अस्पताल की तैयारी, वृहत हताहत प्रबन्धन तथा आर०एच० उपचार एवं आपातकाल प्रसूति उपचार इत्यादि बारे चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना।
(ख) इंजिनियरों, वास्तुकारों एवं राजमिस्त्रियों, तार बांधने वालों, ठेकेदारों, निर्माण सुपरवाईजरों को आपदरोधी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण।
(ग) राज्य एवं जिला स्तरीय पदस्थों को आपदा–उपरांत प्रतिक्रिया एवं समुत्थान बारे प्रशिक्षण।
(घ) विभागीय एवं जिला स्तरीय विभिन्न वर्गीय पदस्थो को विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
(ड़) आपद–परक क्षेत्रों में ढ़ाचांगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भवन उप–नियमों तथा भूमि प्रयोग विकास विनियमों में डी०आर०आर० उपायों को समाविष्ट किए जाने बारे प्रशिक्षण।
(च) राज्य तथा जिला स्तर पर खोज एवं बचाव (एस०ए०आर०) बल को प्रशिक्षण तथा स्वैच्छिक संस्थाओं (एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, एन०वाई०के०एस०, वी डी०एम० टी, महिला एवं युवक मण्डलों आदि) को एस०ए०आर० एवं प्रथम – उपचार बारे प्रशिक्षण।
(छ) विद्यालय सुरक्षा बारे अध्यापकों को प्रशिक्षण

(ज) आपदा प्रबन्धन में विभागीय पदस्थों तथा अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कोर्स,
(झ) सरकारी सेवा में नए प्रवेशकों को, भविष्य में उनकी भूमिकाओं की जरूरतों के अनूरूप, प्रशिक्षण।
(ञ) विशिष्ट एस०ए०आर० बारे पुलिस बलों को प्रशिक्षण।
(ट) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार उन्हें सौंपी गई भूमिका बारे पी०आर०आई0 एवं यू०एल०बी० को प्रशिक्षण।
(ठ) मॉक ड्रिल बारे प्रशिक्षण– आयोजन एवं सहभागिता।

10.2.4 अन्य कारोबारी समूह जैसे पैरामैडिक्स, समाज सेवी, सी०एस०ओ०, एन०जी०ओ०, प्लम्बर, सैनिटरी फिटर तथा सुरक्षा अंकेक्षक इत्यादि भी सामुदायिक तौर पर आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन समूहों को भी उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। उपरोक्त सूची उदाहरण मात्र है न कि सम्पूर्ण। बड़ी मात्रा में सरकारी पदस्थों तथा अन्य पणधारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना होगा। बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एक संस्थान के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि हिप्पा के अतिरिक्त जो मुख्य संस्थान होगा, एस०डी०एम०ए०/राजस्व विभाग के सहयोग एवं परामर्श से अन्य संस्थाओं के साथ प्रशिक्षण संचालित करेगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध रीति से अपने कर्मियों को सभी स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उनके द्वारा एस०डी०एम०ए० के परामर्श पर उचित प्रशिक्षण सामग्री एवं मापदण्ड भी तैयार किए जाएंगें।

क्षमता विकासः

10.3.1 क्षमता विकास के क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन पदस्थों, कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षकों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं समुदायों तथा समुदाय आधारित संगठनों को प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टरों, अभियन्ताओं, तथा वास्तुकारों जैसे व्यवयायियों के प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास को विधिवत महत्व दिया जाएगा। स्कूलों सहित, शिक्षण संस्थाओं में सभी स्तरों पर डी०एम० प्रशिक्षण के विस्तार पर बल दिया जायेगा जिसमें वास्तविक अपेक्षाओं का अभिविन्यास भी शामिल होगा। क्षमता विकास दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होगाः–

(i) बहु–आपद संवेदनशीलताओं तथा समुदाय की अपेक्षाओं की

विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रणाली के विकास हेतु प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।

(ii) जिला एवं अन्य पणधारियों का कार्यान्वयन प्रभारी स्थानीय प्राधिकरण/प्राधिकारी के साथ विचार–विनिमय पद्धति के माध्यम से समुदाय आधारित डी०एम० प्रणाली को राज्य में सभी स्तरों पर वैचारिक बनाना।

(iii) प्रामाणित निष्पादन के आधार पर ज्ञान–आधारित संस्थाओं को चिन्हित करना।

(iv) राष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना।

(v) पारम्परिक तथा वैश्विक स्तरीय उत्तम प्रणालियों एवं तकलीफों को अपनाना।

(vi) योजनाओं के परीक्षण हेतु फलक–अभ्यासों, अनुकरण, मॉक–ड्रिलों तथा कौशल विकास पर बल देना।

(vii) जिला/उपमण्डल/स्थानी स्तरों पर विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया समूहों की क्षमता का विश्लेषण करना।

संस्थानिक क्षमता विकासः

10.4.1 हिप्पा का आपदा प्रबन्धन अनुभाग आपदा प्रबन्धन हेतु राज्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, तथा उसके कार्यन्वयन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। डी०एम० में प्रशिक्षण के भार से निपटने हेतु, यथोपेक्षित उपायों तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर, इसे और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। पुलिस अकादमियों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, जिला बटालियन गृह रक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा संयुक्त प्रशिक्षण संसथान शिमला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, ए०बी०वी० पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्दर नगर, राज्य शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं विभाग के अन्य समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे भी आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कौशल के विकास में अपना महत्वपूर्ण येागदान दे सकें। विद्यमान विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का क्षेत्रीय एवं स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्तरोन्नत किया जाना होगा। राज्य में मास्टर प्रशिक्षक संवर्ग को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से सी०बी०आर०आई० रूडकी, निट हमीरपुर, राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, हैदराबाद, नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर तथा अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण ससंथाओं आदि के साथ भी सम्बन्ध बनाए जाएंगे।

समुदायों का प्रशिक्षणः

10.5.1 समुदाय आपदा के प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं, समुदायों में क्षमता निर्माण किया जाना क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जागरूकता, अभिविन्यास एवं कौशल विकास के साथ–साथ समुदायों तथा समुदाय नताओं को एस०ए०आर०, एम०एफ०ए०, राहत वितरण, राहत शिविरों का प्रबन्धन, मानसिक–सामाजिक देख–रेख इत्यादि शामिल होगा। नागरिक सुरक्षा तथा एन०जी०ओ० तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं, जैसे– रैड–क्रॅस एवं एवं सहायता समूहों से सहयोग लेने को प्रोत्साहित कया जाएगा। महिला मण्डल, युवक मंडल, बाजार एसोसिएशनों जैसी सामुदायिक संगठनों तथा धार्मिक संगठनों को एस०ए०आर० तथा एम०एफ०ए० प्रशिक्षण में लक्ष्य बनाया जाएगा। राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के मार्गदर्शन में नेतृत्व तथा प्रयोजन को प्रोत्साहन देने का समग्र दायित्व स्थानीय प्राधिकरणों, पी०आर०आई० तथा यू०एल०बी० निहित होगा।

व्यावसायिक तकनीकी शिक्षाः

10.6.1 वास्तुकला, आभ्यान्त्रिकी, भू विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र में स्नातकों एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा ताकि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित उनके क्षेत्र विशेष के समसामयिक ज्ञान को इन पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सके। स्कूलों तथा कालेजों में एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, एन०वाई०के०एस० तथा ब्वॉय–स्काउट्स को भी आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों में सहभागिता दी जानी चाहिए। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय तथा श्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबन्धन को एक अलग शैक्षिक विषय के रूप में विकसित किया जाएगा।

विद्यालयों में डी०एम० शिक्षाः

10.7.1 शिक्षा विभाग द्वारा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आपदा प्रबन्धन विषय को पाठ्यक्रम में आरम्भ करने पर इसका सभी स्कूलों में विस्तार किया जायेगा। शिक्षा के निचले स्तर पर पुस्तकों में रंग भरने तथा उच्च स्तर पर पाठ्य पुस्तकें या प्रोजैक्ट आधारित कार्य निर्धारित किए जाएंगे। शैक्षणिक पहलुओं में कौशल आधारित प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक समुत्थान–शक्ति नेतृत्वतात्मक गुण शामिल होंगे। स्कूल तथा कालेजों में एन०सी०सी०, एन०एस०एस० तथा ब्वॉय–स्काउट्स

को भी आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों में सहभागी बनाया जायेगा। स्कूल आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ आपदा शिक्षा का लक्ष्य तत्परता तथा सुरक्षा की संस्कृति का विकास करना होगा।

शिल्पियों का प्रशिक्षणः

10.8.1 शिल्पियों के कौशल का उन्नयन क्षमता निर्माण प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। इनक कार्यक्रमों की योजना तैयार करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०), राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों (एन०आई०डी०), केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी०बी०आर०आई०) तथा राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, हैदराबाद इत्यादि से मार्गदर्शन लिया जाएगा। हि०प्र० राज्य पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, पॉलिटेकनिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई० आई०टी०) तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों, जिनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हों, द्वारा इसके कार्यान्वयन में सहयोग दिया जायेगा। व्यापक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजन से कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशिक्षित शिल्पियों को समुचित रूप से प्रयोग किए जाने हेतु निजी निर्माताओं, ठेकेदारों तथा एन०जी०ओ० द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी प्रत्याशित है।

अध्याय–11

ज्ञान प्रबन्धन, अनुसंधान एवं विकास

दृष्टिकोणः

11.1.1 आपदा प्रबन्धन में ज्ञान संस्थाओं का नेटवर्क तैयार किया जाना आवश्यक है ताकि उनके ज्ञान तथा अनुभव को सांझा किया जा सके नोडल संस्थाओं द्वारा मुख्यतः विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान सृजन कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, एस०डी०एम०ए० तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं जैसे हि०प्र० राज्य पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से विचार–विनिमय कर ज्ञान संश्लेषण, डाटा प्रबन्धन तथा अनुयायी–समूहों विशेषकर अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में इसका प्रसार किए जाने में हिपा का आपदा प्रबन्धन अनुभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

ज्ञान संस्थाएंः

11.2.1 हिपा का आपदा प्रबन्धन अनुभाग तथा अन्य संस्थान मिल कर कार्य करेंगे तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओ को सहयोजित करेंगे। एन०आई०टी०, सी०बी०आर०आई०, एस०ए०एस०ई०, आई०सी०आई०एम०ओ०डी०, जी०एस०आई०, सी०डब्ल्यू०सी०, आई०एम०डी०, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून आदि, यू०एन० एजैंसियों तथा आपातकाल प्रतिक्रिया सम्बन्धी कार्यरत अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजैंसियों के साथ, उनके आपदा प्रबन्धन बारे में अनुभवों तथा ज्ञान को हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किए जाने के प्रयोजन से, सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगें।

ज्ञान का प्रसारः

11.3.1 आपदा प्रबन्धन पर ज्ञान साझा करने हेतु प्लेटफार्म की आवश्यकता तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के सुविज्ञों के साथ पारस्परिक क्रिया तथा विचार–विनिमय के प्रयोजन से भारतीय आपदा ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित किया गया है, यह पोर्टल डी०एम० से सम्बन्धित सूचना को एकत्रित, मिलाने तथा प्रसारित करने हेतु एक उपस्कर के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों, संविधिक एजैंसियों,

अनुसंधान संगठनों/संस्थाओं तथा मानवीय संगठनों को, उनके ज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञताओं को संयुक्त या व्यक्तिगत रूप में सांझा किए जाने के प्रयोजन से, आपस में जोड़ा जाएगा। आई०सी०टी० के माध्यम से पणधारियों तक ज्ञान प्रसार किया जाएगा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

बेहतर प्रथाओं तथा अनुसंधान प्रलेखनः

11.4.1 देशज तकनीकी ज्ञान का प्रलेखन एवं विकास किया जाएगा। सांस्थानिक उपायों के रूप में यथावश्यकता विशेषज्ञों के सहयोग से किसी आपदा या घटना के तुरन्त पश्चात् क्षेत्रीय अध्ययन किया जाएगा। इन अध्ययनों में विद्यमान निरोधक तथा अवशमन उपायों की त्रुटियों को चिन्हित करने पर ध्यान दिया जायेगा और तत्परता तथा प्रतिक्रिया स्तर का मूल्यांकन किया जायेगा। इसी प्रकार गत आपदाओं से मिले सबकों का भी संकलन एवं प्रलेखन किया जायेगा। आपदा प्रबन्धन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं में और सुधार लाये जाने के मद्देनजर समुत्थान एवं पुननिर्माण प्रक्रिया का भी विश्लेषण किया जाएगा।

अनुसंधान एवं विकासः

11.5.1 समग्र आपदा प्रबन्धन संरचना को अग्रणी आर० एण्ड डी० उद्यम के मजबूत आधार, सहयोग दिया जाना आवश्यक होगा। आपदा प्रबन्धन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं में पारस्परिक सुदृढ़ीकरण तथा सहक्रिया बढ़ाने हेतु एक सक्रियता–परक नीति तैयार की जाएगी। संदर्शों, सूचना तथा विशेषज्ञता को एकत्रित एवं सांझा करने को, इस प्रकार के प्रयासों द्वारा, प्रोत्साहित किया जायेगा। सक्षम निकाय समूहों की समेकन प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासन पर मामलों की पहचान को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थाई तंत्र द्वारा सुकर एवं समुचित प्रबन्धनीय बनायी जाएगी। अनुसंधान के उन्नयन तथा आवश्यकताओं कों चिन्हित किए जाने हेतु सभी पणधारियों के साथ घनिष्ठ पास्परिक क्रिया बनाए रखी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त प्रौद्यौगिकीय तथा मान–निर्मित आपदाओं सहित प्रतिकूल प्रकरणों के अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इन आपदाओं के लघु–आवधिक एवं दूरगामी प्रभावों के मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजन से निर्माण प्रौद्यौगिकी, एस०ए०आर० उपस्कर, अनुकरण अध्ययन पर आधारित लघु–अनुक्षेत्र वर्गीकरण तथा परिदृश्य विकास जैसे क्षेत्रों में भी विकास एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आगामी रास्ताः

11.6.1 इस नीति का निरूपण नई यात्रा की दिशा में मात्र एक कदम है। यह एक उपकरण है जिससे एक महराबी इमारत बनाए जाने की आशा है, जिसके अन्तर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। एक गन्तव्य निर्मित किया गया है, और ऐसी आशा है, कि उसकी दिशा भी दर्शाई गई है। मंच स्थापित किया जा चुका है, और अब मार्ग पर आगे बढ़ने की जरूरत है। निष्कर्षतः यह विश्वास किया जाता है कि बहु–क्षेत्रीय संसक्ति में कार्यरत, नई आपदा प्रबन्धन संरचना द्वारा सशक्त एक आपदा सुबोध एवं समुत्थानशील समाज राज्य की दूरदर्शिता की अनुभूति करवाने में मददगार सिद्ध होगी।

उपाबन्ध–1

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन रूप–रेखा
राजस्व विभाग

प्रत्याशित परिमाण	हस्तक्षेपीय क्षेत्र	शामिल की जाने वाली एजैंसियां / क्षेत्र तथा संसाधन सहलग्नता
I- संस्थागत एवं विधिक संरचनाः		
समुचित व्यवस्थाओं सहित, राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु नोडल एजैंसी।	1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन एवं स्थापना, जिसके पास समुचित विधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां हों। 2. एस०डी०एम०ए० की भूमिका एवं दायित्व, • सभी प्रकार की आपदायें • आपदा कम करने एवं उसके अवशमन हेतु नीतियां • सभी स्तरों पर तैयारियां • प्रतिक्रिया समन्वय • राहत एवं पुनर्वास समन्वय • विद्यमान नियमों, प्रक्रियाओं, दिशा–निर्देशों में संशोधन	राजस्व, स्वास्थ्य, पी०डब्ल्यू०डी०, आई० एण्ड पी०एच०, गृह, शिक्षा, नगर एवं शहरी आयोजना, शहरी विकास, अग्नि शमन एवं आपात काल, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, वित्त, कृषि, बागबानी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आई०एम०डी० इत्यादि।
जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन।	राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का गठन एवं स्थापना की	यथोपरि

	जाएगी।	
स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन।	स्थानीय स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन किया जाएगा।	डी०डी०एम०ए० एस
राज्य आपदा प्रबन्धन संहिता	सभी स्तरों पर आयोजना, अवशमन तथा तत्परता सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन से विद्यमान आपातकाल राहत नियमावलियों आदि का संशोधन।	राजस्व विभाग
।।- आपदा निरोध एवं अवशमनः		
संकट, जोखिम तथा संवेदनशीलता निर्धारण एवं प्रसार	जिला/ तहसील स्तर तक नियमित रूप से आपदा आपेक्षिक बहु संकटीय जोखिम क्षेत्रीकरण। नियमित आधार पर बहु–संकटीय संवेदनशील मानचित्रण।	इस प्रकार के अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों/विशेषज्ञ एजंसियों/सरकारी विभागों को आबद्ध करना। विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा जोखिम एवं संवेदनशीलता अध्ययन किया जाना अपेक्षित। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा हिपा।
	जोखिम एवं संवेदनशीलता जागृति अभियान।	आई० एण्ड पी० आर० विभाग–मास कम्युनिकेशन–प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया; शिक्षा विभाग–स्कूलों कालेजों के पाठ्यक्रम।

		एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा आई०ई०सी० संसाधन सामग्री विकसित कर उसे सभी सम्बन्धत वभागों, जिला स्तर, स्थानीय स्वशासन सरकारी निकायों, राज्य, जिला तथा स्थानीय एन०जी०ओ० के माध्यम से प्रसारित करना। राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर एन०जी०ओ० नेटवर्क को शामिल किया जाना।
संरचनात्मक निरोधी उपाय विकसित किये जाने तथा उन्हें सभी सार्वजनिक एवं निजी विकास योजनाओं में शामिल किया जाना।	सभी क्षेत्रों के लिए भूकम्प, बाढ़, आगजनी ,भूस्खलन हेतु दिशा–निर्देशों, विनियमों तथा संहिताओं को तैयार कर उन्हें लागू करना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित आवास एटलस/डिजाईन/ दिशा– निर्देशक सिद्धान्त। प्रौद्यो–विधिक भूमि प्रयोग क्षेत्रीकरण एवं निर्माण विनियमों का प्रसार।	इन मानदण्ड़ों को तैयार करने हेतु मुख्य अभियन्ता (डिजाईन) पी०डब्ल्यू०डी०, मुख्य अभियन्ता हिमुडा, मुख्य वास्तुकार पी०डब्ल्यू०डी०, राज्य नगर एवं शहरी एवं शहरी योजनाकर, सी एफ सभाओं की एक समिति बनाई जाएगी। संहिताओं/ मानदण्डों तथा विनियमों को मनाने एवं लागू करने हेतु राज्य, जिला, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना। विभिन्न क्षेत्रों में,

		स्थानीय भाषा में प्रयोक्ता मित्र एटलसें–जिनमें डिजायनों का विस्तृत विवरण हो। आई० एण्ड पी० आर० विभाग–मॉस कम्युनिकेशन – प्रिंट सएवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया। शिक्षा विभाग – स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्वालयें तथा तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम। एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० द्वारा आई०ई०सी० संसाधन सामग्री तैयार कर उसे सभी सम्बन्धित विभागों, जिला स्तर, स्थानीय स्वशासन निकायों, राज्य, जिला एवं स्थानीय एन०जी०ओ० के माध्यम से प्रसारित करना। राज्य में सभी वरिष्ठ एवं मध्य स्तर की नागरिक सेवाओं के लिए मूल आरम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना।
प्रत्येक क्षेत्र के हेतु विशेष आपदा निरोधी/ अवशमन कार्य योजना तैयार करना	विकल्पों सहित अवशमन योजनाओं/परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेषज्ञों	उच्च जोखिम एवं संवेदनशील क्षेत्रों के लिए यह कार्य राष्ट्रीय

	को आबद्ध करना न्यूनतम हानि मादण्डों के आधार पर इन योजनाओं का लागत मूल्य आंकलन। ढ़ांचागत तथा गैर–ढ़ांचागत उपायों का वित्त–पोषण (जैसे राहत, आश्रय, बांध/ रोक आदि)	तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाताओं को सौंपा जाए। सामान्य जोखिम/ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने हेतु राज्य / जिला स्तरीय दलों का गठन किया जाए। व्यवहार्य योजनाओं का योजना धनराशि के साथ–साथ केन्द्रीय / बाह्य धन राशि से वित्त – पोषण।
आपदा अवशमन, निरोध तथा तत्परता को विकास प्रक्रिया में शामिल करना	अवशमन, निरोध एवं तत्परता के क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रत्येक विभागों द्वारा अवशमन सम्बन्धी स्कीमों के लिए समुचित परिव्यय का प्रावधान किया जाएगा। जहां पर अवशमन को योगदान करने वाली परियोजनाएं/स्कीमें हो उन परियोजनाओं/स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राकृति संकट संभाव्य क्षेत्रों में परियोजनाओं/ स्कीमों को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि वे अवशमन एवं तत्परता को योगदान देने में समाप्त हों। प्राकृतिक संकट संभाव्य संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी	योजना एवं वित्त विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार के सभी विभाग अपने कार्यक्रमों में डी०आर०आर० को शामिल करेंगे। सभी स्थानीय प्राधिकरण।

	परियोजनाएं बनाई जाएगी जो प्राकृतिक संकट बाधक हों	
समुदाय/ग्राम/पंचायत/ खण्ड/जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय आपदा अवशमन/ घटाने की नीति एवं योजनाएं।	मजबूत सामाजिक गतिशीलता एवं जागरूकता अभियान। विकेन्द्रीकृत योजना में सहभागिता बढ़ाना। विकास योजनाओं में शामिल करने तथा आबंटित धनराशि से क्रियान्वित किए जाने हेतु चिन्हित एवं तैयार की जाने वाली अवशमन परियोजनाओं के लिए आपदा आंकलन विकास योजनाओं का एक अभिन्न घटक होगा।	चालू केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के लिए आपदा अवशमन घटक– पी०डब्ल्यू०डी०, आर०डी०, यू०डी०, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन आई० एण्ड पी०एच०, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण विभाग आदि होंगे। विकास योजनाआं में समेकित अवशमन दृष्टिकोण। दानी एजैंसियों एवं बैकों से सहयोग।
प्रौद्यो–विधिक व्यवस्था	भवन संहिताओं की नियमित समीक्षा तथा उनका प्रसार क्षेत्र IV व V हेतु विहित बी आई एस संहिताओं के अनुसार सभी निर्माण किए जाना निम्नलिखित की व्यापक समीक्षा एवं अनुपालनः • टी०सी०पी० अधिनियम • विकास नियंत्रण एवं विनियम • जोखिम संवेदी भू प्रयोग, क्षेत्रीकरण एवं विनियम • भवन उप–नियम	टी०सी०पी०, यू०डी०, आर०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, हिमुडा तथा राजस्व विभाग।

	प्रौद्यो– विधिक व्यवस्था की पालना करवाने हेतु यू०एल०बी० तथा पी आर आर्टज की क्षमता बढ़ाना	
भूमि प्रयोग योजना तथा क्षेत्रीकरण विनियमन	भूमि प्रयोग योजना तथा क्षेत्रीकरण हेतु विधिक रूप–रेखा की समीक्षा। क्षेत्रीकरण विनियम अधिसूचित करना तथा पूरे राज्य में लागु करना क्षेत्रीकरण विनियम एच०वो०आर०ए० अध्ययन पर आधारित होंगे।	टी०सी०पी०, यू०डी०, आर०डी० तथा राजस्व विभाग।
III- पूर्व चेतावनी व्यवस्थाः		
ई०डब्ल्यू०एस० की स्थापना करना	मौसम विज्ञान सम्बन्धी संकटों, जैसे बादल फटने, ओलावृष्टि, बर्फबारी तथा हिमस्खलन, अचानकी बाढ़ इत्यादि में ई०डब्ल्यू०एस० के लिए संवेदकों, रेडरों तथा उपस्करों की समीक्षा किया जाना आवश्यक	आई०एम०डी०, एस०ए० एस०ई०, सी०डब्ल्यू०सी० तथा आई० एण्ड पी०एच०, कृषि, बागवानी एवं पर्यावरण तथा राजस्व विभाग।
राज्य स्तर	प्रत्येक जिला के लिए संकट चेतावनी – संवेदी प्रतिरूपण राज्य मुख्यालय पर आपातकाल संचालन केन्द्र (ई०ओ०सी०) तथा एक अन्य स्थान पर यह सुविधा तैयार रखने सहित।	आई०एम०डी०, एस०ए० एस०ई०, सी०डब्ल्यू०सी०, तथा कृषि, बागवानी, आई० एण्ड पी०एच०, वन, राजस्व विभाग एवं एस०डी०एम०ए० इत्यादि।
जिला स्तर	जिला मुख्यालय पर आपातकाल संचालन केन्द्र (ई०ओ०सी०) तथा किसी अन्य स्थान पर यह सुविधा	राजस्व, पुलिस तथा खण्ड कायालयों के सभी– वी०एच०एफ०/ एच०एफ० नेटवर्क के

	तैयार रखना।	साथ संचार सम्पक। एच०ए०एम० क्लबों को प्रोत्साहित करना। इलैक्टॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया तथा पारम्परिक साधनों का प्रयोग। आधुनिक प्रौद्योगिकी – जैसे बड़े पैमान पर संदेश सेवाएं, ध्वनि संदेश इत्यादि का प्रयोग करना ताकि पूर्व चेतावनी का प्रसार किया जा सके।
स्थानीय (समुदाय) स्तर	पंचायतों / शहरी निकायों द्वारा डी०एम०टी० समूहों के माध्यम से गांव (वों) में पूर्व चेतावनी का प्रसार किया जाएगा।	एल०एस०जी० सदस्यों तथा डी०एम०टी० का क्षमता निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में एच०ए०एम० का विकास करना तथा कारगर पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित करना।
IV- आपदा तत्परता एवं प्रतिक्रिया		
समुदाय आधारित ग्रामीण तत्परता, अवशमन एवं प्रतिक्रिया योजनाएं	भविष्य में आपदाओं के प्रति कारगर प्रतिक्रिया के प्रयोजन से सभी बहु – संकट संभाव्य जिलों, तहसीलों तथा उप–तहसीलों में समुदाय क्षमता में वृद्धि करना।	संकट संभाव्य क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में डी०एम० सीज़ तथा डी०एम०टी० की स्थापना करना। गृह रक्षा/नागरिक सुरक्षा के माध्यम से निम्नलिखित हेतु उनमें तत्परता तथा प्रतिक्रिया योजनाएं बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना; ➢ सुरक्षित आश्रय ➢ एस०ए०आर० उपस्कर

		➢ राहत सामग्री का भण्डारण ➢ निकासी योजनाएं ➢ प्रथम चिकित्सा उपचार ➢ एस०ए०आर० ➢ मनोवैज्ञानिक परामर्श ➢ राहत शिविरों का संचालन ➢ क्षति निर्धारण ➢ राहत वितरण इत्यादि; इन योजनाओं को समस्त पंचायतों व स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं के साथ मिलाना। सभी प्रतिक्रिया कार्यक्रमों– जैसे पूर्व चेतावनी का प्रसार, खोज एवं बचाव, प्रथम उपचार, सदमा प्रबन्धन, आश्रम एवं जीवनयापन क्षति रोधी तकनीकों इत्यादि बारे युवाओं / स्वयंसेवियों को प्रशिक्षित करना। दलों / स्वयंसेवियों के क्षमता निर्माण कार्य को सम्बन्धित विभागों के विस्तारित कार्यक्रमों के साथ आमेलित करना। नियमित अवधियों पर समुदाय एवं पंचायतों की मॉक–ड्रिल करवाना। (समुदाय स्तरीय तत्परता

		प्रतिक्रिया योजनाएं तैयार किए जाने में स्थानीय स्तर पर एन०जी०ओ० / संस्थाओं को सहभागी बनाया जाना)
भारी संख्या में लोगों द्वारा भ्रमण / आवासित सभी स्थानों के लिए आपदा प्रबन्धन योजनाएं	राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों के लिए आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जानी। सभी प्रमुख भवनों जिनमें बड़ी मात्रा में लोगों का आना–जाना / आवास करना बना रहता हो, जैसे– सचिवालय, मिनी सचिवालय, निदेशालय, समाहर्ता कार्यालय, मैडिकल कालेज एवं अस्पताल, चिकित्सा संस्थाएं, होटल आदि के लिए आपदा प्रबन्धन एवं निकासी येाजनाओं का होना। योजनाओं के परीक्षण के प्रयोजन से मॉक ड्रिलों का नियमित आयाजन।	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग राज्य के समस्त विभाग जिला प्रशासन
जिला आपदा प्रबन्धन योजनाएं	जिला योजनाओं का एच०आर०वी०ए० आधारित होना। रोकथाम, अवशमन तथा तत्परता तत्वों का योजना के अंग होना। आपदाओं पर प्रतिक्रिया करने हेतु जिला दलों की क्षमता में वृद्धि करना योजनाओं का लक्ष्यः ➢ जिला तत्परता एवं प्रतिक्रिया योजनाएं।	जिला मजिस्ट्रेट एवं विभाग जिला एवं उप मण्डल स्तर पर डी०एम०टी० सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण। नियमित अवधियों पर मॉक–ड्रिल। निम्नलिखित उद्देश्य से स्वास्थ्य, पी०डब्ल्यू०डी०,

	➢ त्रुटियों एवं संसाधनों की जिला सूची। ➢ माल इकट्ठा करने की नीति तथा भण्डारण ➢ जिला डी०एम०टी० का गठन एवं प्रशिक्षण; तथा ➢ नामित क्षेत्रों से निकासी, खोज एवं बचाव, सड़कों एवं मलबे की निकासी, स्वास्थ्य, सदमा प्रबन्धन इत्यादि हेतु स्थानीय एवं जिला प्रतिक्रिया दल आई आर एस आधारित कारगर प्रतिक्रिया योजनाएं;	अग्निशमन, गृह रक्षा विभागों से लिए गए सदस्यों के साथ प्रत्येक सशस्त्र आरक्षित पुलिस की एक कम्पनी को तुरन्त प्रतिक्रिया दलों के रूप में प्रशिक्षण; ➢ पानी से बचाने ➢ ढह गई संरचना से बचाने, ➢ आगजनी से बचाने।
राज्य आपदा प्रबन्धन योजना	एच०आर०वी०ए० पर आधारित निरोधी, अवशमन तथा तत्परता तत्वों को शामिल किया जाना। योजना का लक्ष्य आपदाओं पर निम्नलिखित प्रकार की प्रतिक्रिया हेतु राज्य प्रशासन की क्षमता में वृद्धि करना होना चाहिए ; ➢ राज्य तत्परता एवं प्रतिक्रिया योजनाएं ➢ त्रुटियों तथा संसाधनों की राज्य सूची ; ➢ राज्य डी०एम० टी का गठन तथा प्रशिक्षण ;	राजस्व तथा राज्य के अन्य विभाग। सभी बटालियनों के सशस्त्र आरक्षित पुलिस की एक कम्पनी सहित गृह रक्षा, स्वास्थ्य, पी०डब्ल्यू०डी०, वन अग्निशमन आदि विभागों से लिए गए सदस्यों से राज्य आपदा प्रतिक्रया बल का गठन किया जाना तथा उन्हें तुरन्त प्रतिक्रिया दल के रूप में प्रशिक्षित करना :–

	➢ निकासी, खोज एवं बचाव, सड़क एवं मलबे का निपटान, स्वास्थ्य, सदमा प्रबन्धन इत्यादि हेतु राज्य प्रतिक्रिया दल	➢ पानी से बचाव ➢ ढ़ह गई संरचना से बचाव ➢ आगज़नी से बचाव
संसाधनों की वैब – समर्थ एवं सूची सुगम्य संयोजन	सभी सूचियों को सभी स्तरों पर वैब के माध्यम से जोड़ना और उसे आपदा उपस्कर, आश्रय, सुविधांए आदि की राज्य सूची से नामित किया जाना।	इस प्रयोजन से एन आई सी संयोजी तंत्र अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य डी०एम०ए० को समप्रित सम्पक तंत्र का प्रयोग किया जा सकेगा। सैकंडो डाटा के प्रयोग सहित सूचियों की सावधिक गणना व आधुनिकीकरण करना
आपातकालीन संचालन केन्द्रों का राज्य नेटवर्क (ई०ओ०सी०)	स्थल पर आपदा प्रबन्धन सूचना के लिए चल ई०ओ०सी० तथा राज्य एवं जिला मुख्यालयों पर ई०ओ०सी०ज़ स्थापित करना। बहु–आपद सह अधोसंरचनाओं में स्थापित किया जाना। अचूक संचार नेटवर्क तथा सम्पर्कों का होना; जिम्मेदार अधिकारी तथा ई०एस०एफ०ज़ को डी०एस०एस० प्रदान करना।	राजस्व, पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं आपातकालीन सेवाएं;
घटना प्रतिक्रिया व्यवस्था	आई०आर०एस० के लिए प्रोटोकोल / एस०ओ०पी० स्थापित करना।	राजस्व विभाग एवं जिम्मेदार अधिकारी।

	सभी स्तरों पर आई०आर०एस० के लिए अधिकारी पदनामित किया जाना।	
आपातकाल सहायता कार्यक्रम (ई०एस०एफ०) और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एस०ओ०पी०)	राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर ई०एस०एफ० योजना तथा एस०ओ०पी० तैयार किया जाना। ई०एस०एफ० कार्य निष्पादक विभागों एवं एजैंसियों द्वारा सभी स्तरों पर दलों का गठन तथा कारगर आपदा प्रतिक्रिया हेतु एस०ओ०पी०ज़ का अनुकरण किया जाना।	राज्य सरकार के विभाग। जिला प्रशासन। स्थानीय प्राधिकरण।
क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्र	राज्य के भीतर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्रों के रूप में स्थलों को चिन्हित किया जाना अपेक्षित साधनों के गुप्त भण्डारों की पहचान रखना। दलों तथा साधन गुप्त भण्डार बनाना।	डी०बी० (नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं तथा गृह रक्षा) डी जी पुलिस, राजस्व विभाग तथा जिला मजिस्टट
V- मानव संसाधन विकासः		
राज्य क्षमता निर्माण योजना को राज्य एजेंडा के रूप में लिया जाना	क्षमता निर्माण योजना एवं राज्य प्रशिक्षण योजना (एस०टी०पी०) के विकास द्वारा कौशल सेटों, उनकी मात्रा तथा उपलब्धता निर्धारण अपेक्षित।	निगमित/ निजी क्षेत्रीय प्रशिक्षण सुविधाओं सहित समस्त राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं को एक ही नेटवर्क के अधीन लाया जाना। समस्त आरम्भ किए गए पाठ्यक्रमों के साथ आपदा प्रबन्धन को जोड़ा जाना ;

विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित / चिन्हित की जानी।	यथोपरि	विद्यमान विशिष्ट प्रशिक्षण सस्थानों – एन०आई०डी०एम०, एन०आई०एस०ए०, एन०सी०डी०सी०, एन०एफ०एस०सी० इत्यादि को चिन्हित किया जाना तथा साथ में निगमित क्षेत्र की प्रशिक्षण सुविधाओं को भी शामिल किया जाना।
अवशमन, तत्परता तथा प्रतिक्रिया कार्य से जुड़ी सेवाओं / संवर्गों / एजैंसियों के लिए प्रशिक्षण	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण तथा मानव संसाधन योजनाओं का विकास ; प्राशिक्षण सामग्री एवं नियमावलियों का विकास; तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण;	आपदा प्रबन्धन विभाग, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा, अग्नि शमन एवं आपात सेवाएं, हिपा, एस०आई०, आर०डी०, एस०आई०एच०एफ० डब्ल्यू०, एस०सी०एस० टी० एवं पर्यावरण विभाग इत्यादि।
आई०ए०एस० / आई०पी०एस० / एच०ए०एस० / एच०पी०एस० / आई०एफ०एस० आदि का प्रशिक्षण।	प्रारम्भिक भर्ती प्रशिक्षण में, हिपा, ए०टी०आई०, पी०टी०सी०, एस०आई०आर०डी० तथा अन्य प्रशासनिक संस्थानों इत्यादि राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों, में, इन सेवाओं के लिए आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी मापदण्ड शामिल किया जाना।	पुनश्चर्या एवं प्रोन्नति पाठ्यक्रमों में भी इन्हें शामिल किया जाना।
स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी।	एम०बी०बी०एस० पाठ्क्रमों में बहु आपद – सह निर्माण तथा समस्त प्रौद्योविधिक ज्ञान सहित अवशमन प्रौद्योगिकी विषय शामिल किया जाना।	ए०आई०सी०एम०ई० तथा आई०सी०एम०आर० एवं मैडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

अभियन्ता, योजनाकार एवं वास्तुकार।	डिग्री तथा पी०जी० पाठ्यक्रमों में बहु–आपद –सह निर्माण तथा समस्त प्रौद्यो–विधिक ज्ञान सहित अवशमन प्रौद्योगिकी विषय शामिल करना	ए०आई०सी०टी०ई० तथा सी०एस०आई०आर०, आई०आई०टी० मण्डी, निट हमीरपुर, तकनीकी शिक्षा विभाग ईत्यादि।
कृषि विश्वविद्यालय	डिग्री तथा पी०जी० पाठ्यक्रमों संकट रोधी प्रतिक्रिया तथा जीवनयापन क्षेत्र में समुत्थान विषय शामिल करना।	आई०सी०ए०आर० एवं कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर, डॉ० वाई० एस० परमार विश्व विद्यालय नौणी।
समस्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा तत्परता तथा प्रतिक्रिया कार्यों सम्बन्धी प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना।	प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की स्थापना ; विभिन्न श्रेणी पदस्थों के भर्ती उपरान्त प्रशिक्षण संस्थाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना।	हिपा, पी०टी०सी० डरोह, बी०टी०सी० गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, अग्नि शमन प्रशिक्षण संस्थान, आई०आर०बी० प्रशिक्षण संस्थान, राजस्व, एस०सी० एस०टी०एवं०ई०, प्रशिक्षण संस्थान, तथा अन्य सभी विभागीय प्रशिक्षण सुविधाएं, इत्यादि।
स्कूल पाठ्यक्रमों में डी०एम०।	स्कूलों के पाठ्यक्रम में जागरूकता तथा तत्परता विषय शामिल करना।	शिक्षा विभाग, एच०वी० बी०एस०ई०, एन०सी०ई०आर०टी०, आदि।
जिला संवर्ग।	समस्त जिला संवर्ग पदाधिकारियों ग्राम विस्तार अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, कृषि विंस्तार कर्मियों, राजस्व कर्मियों इत्यादि को, सेवा में पदाप्रण के समय लिए जाने वाले प्रशिक्षण के समय आपदा प्रबन्धन कार्यक्रमों के बारे में भी प्रशिक्षण	राज्य प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बन्धित विभागों के प्रशिक्षण।

	लेना होगा।	
स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि एवं पदस्थ।	समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा एल एस जी के कर्मचारीवृंद को अपना कार्यभार संभालने पर मूल प्रशिक्षण के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन बारे भी प्रशिक्षण दिया जायगें।	पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।
युवा/महिला संगठन– जैसे– महिला मंडल, युवक मंडल, एन०सी०सी०/ एन०एस०एस०/ स्कॉडट एवं गाईड, एन०वाई०के०एस०, खेल क्लब आदि।	युवा तथा महिला संगठनों एवं विद्यार्थियों को एस०ए०आर०, एम०एफ०ए०, आपात प्रतिक्रिया एवं सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने बारे प्रशिक्षण दिया जाना।	गृह रक्षा, अग्निशमन व आपातकाल सेवाओं एवं नागरिक सुरक्षा विभागों द्वारा शिक्षा वाई एस एस, आर डी व पी आर आदि सम्बन्धित विभागों/ एजैंसियों के साथ अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
निर्माण सुपरवाईजरों, राज मिस्त्रियों, तार बांधकों, लुहारों तथा निजी ठेकेदारों का प्रशिक्षण।	सुरक्षित एवं आपदरोधी निर्माण प्रणाली तथा रैटोफिटिंग तकनीक में प्रशिक्षण।	सी०बी०आर०आई० रूढ़की, निट हमीरपुर, पी०डब्ल्यू०डी०, आई० एण्ड पी०एच०, हिमुडा, आर०डी०, यू०डी०, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, बहु–प्रौद्योगिकी, आई०टी० आईज़, इत्यादि।
सार्वजनिक जागरूकता तथा सामुदायिक तत्परता प्रशिक्षण।	स्थानीय समुदाय में जागरूकता पैदा करना। मॉक – ड्रिल, रिहर्सल इत्यादि के माध्यमों से कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्थानीय स्तर पर समुदाय में क्षमता निर्माण !	लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विकल्पों में, प्रिन्ट– मीडिया, दृश्य मीडिया जैसे केबल, टी०वी० एवं फिल्में आदि का प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय टी०वी० चैनलों तथा केबल नेटवर्क पर

		आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जान सकेंगे। स्थानीय प्रस, दूरदर्शन तथा निजी टी०वी० चैनलों के मीडिया कर्मियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपदा प्रबन्धन घटकों को जोड़ने के लिए सुग्राही एवं प्रत्साहित किया जा सकता है। सामुदायिक जागरूकता एवं तत्परता में एन०जी०ओ०, सी०बी० ओ० तथा धार्मिक संगठनों को शामिल करना। संसाधनों तथा विशेषज्ञता साझा करने के प्रयोजन से निजी क्षेत्र को सी०एस०आर० के तहत शामिल करना
VI- जी०ओ०–एन०जी०ओ० समन्वयः		
जी०ओ० – एन०जी०ओ० सहयोग तथा अन्तर – एजैंसियों समन्वय	राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर एन०जी०ओ०, सी०एस०ओ०, सी बी ओ की नेटवर्क सुविधा का लाभ। सभी स्तरों पर उपरोक्त संगठनों को येाजना, अवशमन, तत्परता तथा प्रतिक्रिया तंत्र में शामिल	राजस्व विभाग, एस०डी०एम०ए०, डी०डी०एम०ए० तथा स्थानीय प्राधिकरण। भारतीय रैड–क्रॉस नागरिक सुरक्षा विभाग, एन०सी०सी०, शिक्षा विभाग, आर डी इत्यादि

	करना। आपातकाल प्रतिक्रिया में उपरोक्त संगठनों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा अनुकूलन। सामान्य काल के दौरान अन्तर – एजैंसी समन्वय तंत्र स्थापित करना ताकि आपात स्थिति में यह सुचारू रूप से कार्य करे।	यू०एन० एजैंसी, आई एन०जी०ओ०, एन०जी०ओ० व दानी।
सोखी गई शिक्षा तथा ज्ञान को संस्थाकृत किया जाना।	चालू गतिविधियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण एवं मूल्यांकन तथा मुख्य पाठों का नियमिति प्रलेखन। बेहतर प्रक्रिया का प्रलेखन, संस्थाओं तथा संगठनों में सूचना एवं ज्ञान के आदान–प्रदान तथा साझा किए जाने के प्रयोजन से राज्य आपदा ज्ञान नेटवर्क स्थापित करना	राजस्व विभाग, हिपा, जिले, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाएं
राज्य आपदा डाटा–बेस तैयार करना।	आपदा एवं आपदा घटनाओं का क्रमवार सूचीकरण एवं प्रलेखन, रूझान पटक विश्लेषण एवं रिपोर्टिगं।	राजस्व विभाग, एस०ई०ओ०सी०, डी०ई०ओ० सीज़, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इत्यादि।
आपदा जोखिम घटाने के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना।	आवास तथा अधोसंरचना क्षेत्र के लिए आपदा रोधी एवं अवशमन तकनीके। भूकम्प, बादल फटने, भू–स्खलन, अचानकी बाढ़ इत्यादि अन्य आपदाओं के लिए अवशमन नीतियां। विशेष तुरन्त प्रतिक्रिया हेतु	आवास, लोक निर्माण विभाग। सार्वजनिक स्वास्थ्य आभ्यांत्रिकी आई०एम०डी०, जी०एस०आई०, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाएं

	कम लागत के उपस्कर ; ➢ अस्थाई आश्रय ➢ एस०ए०आर० उपस्कर ➢ पेय–जल, आपात स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता का आपदा उपरान्त स्थिति हेतु प्रबन्ध	निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्योग विभाग पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विश्वविद्यालय, आई०सी०आई०एम०ओ० डी०, आई०आई०टी०ज़, निट आदि।

संक्षेपाक्षरः	
ए०आर०एम०वी०	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैनें
बी०आई०एस०	भारतीय मानक ब्यूरो
सी०बी०ओ०	समुदाय आधारित संगठन
सी०बी०आर०एन०	रासायनिक, जैवीय, विकिरण–विज्ञान एवं नाभिकीय
सी०एस०आर०	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व
सी०आर०एफ०	आपदा राहत निधि
सी०डब्ल्यू०सी०	केन्द्रीय जल–आयोग
डी०डी०एम०ए०	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
डी०सी०एम०सी०	जिला संकट प्रबन्धन समिति
डी०एम०	आपदा प्रबन्धन
डी०एम०सी०	आपदा प्रबन्धन कक्ष/ अनुभाग
जी०आई०एस०	भौगोलिक सूचना तंत्र
जी०एस०आई०	भारतीय सर्वेक्षण भूविज्ञान
जी०ओ०आई०	भारत सरकार
जी०पी०एस०	वैश्विक अवस्थिति तंत्र
एच०पी०सी०	उच्च शक्ति प्राप्त समिति
एच०आई०पी०ए०/ हिपा	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान
आई०ए०वाई०	इन्दिरा आवास योजना
आई०ए०जी०	अन्तर–एजंसी समन्वय
आई०सी०आई०एच०ओ०डी०	अन्तर्राष्टोय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र
आई०आर०एच०	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली/पद्धति
आई०सी०टी०	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आई०डी०आर०एन०	भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क
आई०डी०के०एन०	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई०एम०डी०	भारतीय मौसम विभाग
आई०आई०टी०	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान
आई०टी०	सूचना प्रौद्योगिकी
आई०टी०आई०	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई०टी०के०	देशी तकनीकी ज्ञान
एम०एफ०ए०	चिकित्सीय प्रथम उपचार
एम०एच०ए०	गृह प्रकरण मंत्रालय
एन०सी०सी०	राष्ट्रीय छात्र – सेना दल
एन०सी०सी०एफ०	राष्ट्रीय आपदा आनुसांगिक निधि
एन०डी०ई०एम०	राष्ट्रीय आपातकाल प्रबन्धन प्राधिकरण
एन०डी०एम०ए०	राष्ट्रीय आपदा प्रबधन प्राधिकरण

एन०डी०एम०ए०फ	राष्ट्रीय आपदा अवशमन निधि
एन०डी०आर०एफ०	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
एन०ई०सी०	राष्ट्रीय कार्यपालक समिति
एन०जी०ओ०	गैर–सरकारी संगठन
एन०आई०डी०एम०	राष्ट्रीय आपदा प्रबधन संस्थान
एन०आई०टी०	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान
एन०एस०डी०आई०	राष्ट्रीय आकाशीय डाटा अधोसंरचना
एन०एस०एस०	राष्ट्रीय सेवा योजना
एन०वाई०के०एस०	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
पी०पी०पी०	सार्वजनिक – निजी सहभागिता
पी०आर०आई०	पंचायती राज संस्थाएं
आर० एण्ड डी०	अनुसंधान एवं विकास
आर०एच०	जननी स्वास्थ्य सेवा
एस०ए०ए०आर०सी०	दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एस०ए०आर०	खोज एवं बचाव
एस०ए०एस०ई०	हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान
एस०सी०एम०सी०	राज्य संकट प्रबन्धन समिति
एस०डी०एम०ए०	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एस०डी०आर०एफ०	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल
एस०ई०सी०	राज्य कार्यपालक समिति
एस०ओ०पी०	मानक संचालन प्रक्रिया
यू०एल०बी०	शहरी स्थानीय निकाय
यू०एन०	संयुक्त राष्ट